वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report
2011-2012

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

संसदीय कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली
Ministry of Parliamentary Affairs
New Delhi

वार्षिक प्रतिवेदन

2011-2012

.....

हिंदी रूपांतर

.....

विषय वस्तु

		पृष्ठ
अध्याय-1	**प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना**	1-4
	(क) प्रस्तावना	1-2
	(ख) संगठनात्मक संरचना	2-3
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	4
अध्याय-2	**संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान**	**5-7**
	(क) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	5
	(ख) सत्र	6
	(i) बुलाया जाना	6
	(ii) सत्रावसान	6
	(ग) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें (पहली से पंद्रहवीं लोक सभा)	7
अध्याय-3	**राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश**	**8-13**
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	8
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	9
	(ग) अध्यादेश	9-10
	(घ) वर्ष 1952 – 31.12.2011 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश	10-13
अध्याय-4	**संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण**	**14-21**
	(क) सरकारी कार्य	14
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	14-15
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	16
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	16-18
	(i) विधायी	16
	(ii) वित्तीय	16-17
	(iii) बजट	17
	(iv) अन्य सरकारी कार्य	17-18
	(अ) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	17
	(आ) स्वीकृत सरकारी सांविधिक संकल्प	18
	(ङ) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	19
	(च) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	19-20

	(छ) अन्य गैर-सरकारी कार्य	20
	(ज) बैठकों की संख्या	21
अध्याय-5	**गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य**	**22-30**
	(क) लोक सभा	22-24
	(i) स्थगन प्रस्ताव	22
	(ii) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	23-24
	(ख) राज्य सभा	25-26
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	25-26
	(ii) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा	26
	(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख	26-27
	(घ) दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	27
	(ङ) दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	28
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2011 के दौरान पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	29-30
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प	30
अध्याय-6	**आश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)**	**31-35**
	(क) सामान्य प्रक्रिया	31-32
	(ख) लोक सभा	32-33
	(ग) राज्य सभा	34-35
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	35
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	35
अध्याय-7	**लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख**	**36-38**
	(क) नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले	36
	(ख) नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख	36-37
	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई	37
	(घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	37-38

अध्याय-8	**परामर्शदात्री समितियां**	**39-42**
अध्याय-9	**सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान**	**43-53**
	(क) संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के विदेश दौरे	43-50
	(ख) विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन	50-52
	(ग) संसदीय शिष्टमंडलों के साथ बैठकें	52-53
	(घ) संसद सदस्यों के विदेश दौरे	53
	(ङ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	53
	(च) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति	53
अध्याय-10	**युवा संसद योजना**	**54-60**
	(क) प्रस्तावना	54-55
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता	55-56
	(i) 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता	55-56
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	56-58
	(i) 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	56-57
	(ii) अभिविन्यास पाठ्यक्रम	57
	(iii) 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	58
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	58-60
	(i) 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	58-59

	(ii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम।	59
	(iii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 15वीं युवा संसद प्रतियोगिता	59-60
	(ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता	60
	(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	60
	(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण	60
अध्याय-11	**मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग**	**61-64**
अध्याय-12	**सामान्य**	**65-72**
	(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	65
	(ख) हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	65
	(ग) संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	65
	(घ) संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते	66
	(ङ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	66
	(च) संसद सदस्यों का कल्याण	66-67
	(छ) संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था	67
	(ज) फिल्म शो	68
	(झ) महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य	68
	(ञ) संसद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संपर्क	68-69
	(ट) नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान	69
	(ठ) संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	69
	(ड) केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	69-71
	(ढ) बजट स्थिति	71

	(ण) वित्तीय वर्ष 2010-11 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति	72
	(त) अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप	72

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	73-74
परिशिष्ट-2	दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	75-77
परिशिष्ट-3	लोक सभा के 9वें सत्र और राज्य सभा के 224वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित सरकारी विधेयकों की सूची	78-82
परिशिष्ट-4	दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान रेल तथा सामान्य बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	83-86
परिशिष्ट-5	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	87-88
परिशिष्ट-6	दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	89-95
परिशिष्ट-7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए संशोधित दिशा-निर्देश	96-102
परिशिष्ट-8	15वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची	103-104
परिशिष्ट-9	परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	105-112
परिशिष्ट-10	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	113-114
परिशिष्ट-11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	115
परिशिष्ट-12	संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	116-123
परिशिष्ट-13	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	124-125

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, सभी मंत्रालयों/विभागों के समय और संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन पर व्यय होता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और बृहत जिम्मदारियों और कार्यों के साथ यह शीघ्र ही एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों के पारित होने संबंधी कार्रवाई के सुचारू रूप से पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों ही के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध 35 परामर्शदात्री समितियां हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन से इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। मंत्रालय

जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत सरकार के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के अन्य देशों के दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत के दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबीनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है, उनकी सहायतार्थ तीन राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं जिन्होंने प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला :-

I. मंत्री जिन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला

1. श्री पवन कुमार बंसल,
   कैबिनेट मंत्री - दिनांक 28.5.2009 से आगे

2. श्री वी. नारायणसामी,
राज्य मंत्री - दिनांक 28.5.2009 से 12.7.2011 तक
(दिनांक 12.7.2011 से राज्य मंत्री का पदभार छोड़ दिया)

3. श्री अश्विनी कुमार,
राज्य मंत्री - दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक
(दिनांक 12.7.2011 से राज्य मंत्री का पदभार छोड़ दिया)

4. श्री राजीव शुक्ला,
राज्य मंत्री - दिनांक 12.7.2011 से आगे

5. श्री हरीश रावत,
राज्य मंत्री - दिनांक 12.7.2011 से आगे

6. श्री पबन सिंह घाटोवार,
राज्य मंत्री - दिनांक 20.7.2011 से आगे

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)

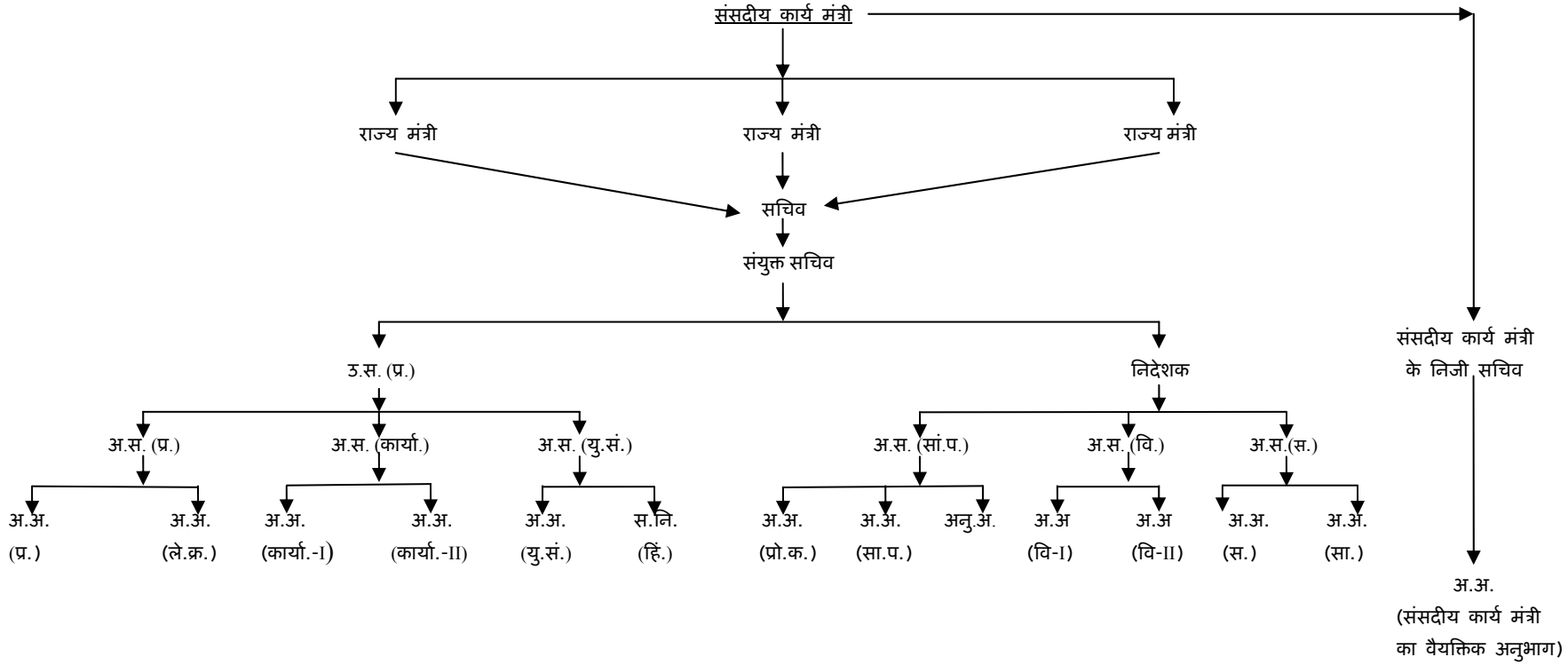

आख्यान

उ.स. - उप सचिव	प्र. - प्रशासन	सा. - सामान्य
अ.स. - अवर सचिव	वि. - विधायी	स. - समिति
अ.अ. - अनुभाग अधिकारी	यु.सं. - युवा संसद	सां.प. - सांसद परिलब्धियां
स.नि. - सहायक निदेशक	कार्या.- कार्यान्वयन	ले.क्र. - लेखा और क्रय
अनु.अ. - अनुसंधान अधिकारी	हि. - हिंदी	प्रो.क. – प्रोटोकॉल और कल्याण

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

- 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान तीन सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक की 73 बैठकें हुई।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक के तीन-तीन सत्र बुलाए गए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

पंद्रहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
7वां	21 फरवरी, 2011 से 25 मार्च, 2011	23	33
8वां	1 अगस्त, 2011 से 8 सितंबर, 2011	26	39
9वां	22 नवंबर, 2011 से 29 दिसंबर, 2011	24	38
राज्य सभा			
222वां	21 फरवरी, 2011 से 25 मार्च, 2011	23	33
223वां	1 अगस्त, 2011 से 8 सितंबर, 2011	26	39
224वां	22 नवंबर, 2011 से 29 दिसंबर, 2011	24	38

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

पंद्रहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
7वां	25 मार्च, 2011	29 मार्च, 2011
8वां	8 सितंबर, 2011	15 सितंबर, 2011
9वां	29 दिसंबर, 2011	5 जनवरी, 2012
राज्य सभा		
222वां	25 मार्च, 2011	29 मार्च, 2011
223वां	8 सितंबर, 2011	15 सितंबर, 2011
224वां	29 दिसंबर, 2011	5 जनवरी, 2012

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से पंद्रहवीं लोक सभा)					
लोक सभा	**मतदान की अंतिम तारीख**	**गठन की तारीख**	**पहली बैठक की तारीख**	**कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]**	**भंग होने की तारीख**
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	

*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर जिनका अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 कलैंडर वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दिनांक 21 फरवरी, 2011 को राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

15वीं लोक सभा का 7वां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री पी.सी. चाको (प्रस्तावक) श्री मनीष तिवारी (अनुमोदक)	22, 23 और 24 फरवरी, 2011 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 222वां सत्र	
श्री जनार्दन द्विवेदी (प्रस्तावक) श्रीमती जयंती नटराजन (अनुमोदक)	22, 23 और 24 फरवरी, 2011 **(स्वीकृत)**

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: सत्रारम्भ से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, 3 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इन तीन अध्यादेशों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक-एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटलों पर रखी गई। उनके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने,

संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न ब्यौरों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुर:स्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीख		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्या 1) (10.5.2011)	2.8.2011	1.8.2011	2.8.2011 (लो.स.)	18.8.2011	26.8.2011 29.8.2011	8.9.2011 2011 का 13
2*	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्या 2) (20.6.2011)	2.8.2011	1.8.2011	5.8.2011 (लो.स.)	25.8.2011	-	-
3	केबल टेलीविजन तंत्र (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्या 3) (25.10.2011)	22.11.2011	23.11.2011	28.11.2011 (लो.स.)	13.12.2011	19.12.2011	-

* अध्यादेश व्यपगत हो गया क्योंकि इसे अनुबंधित अवधि के दौरान अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका।

3.8 किसी भी अध्यादेश के संबंध में अध्यादेश का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.9 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2011 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03

1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)

चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979: कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)

बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक: भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	22 मई, 2009 भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन -II (डॉ. मनमोहन सिंह 22 मई, 2009 से आगे)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

एक झलक

- वर्ष 2011-12 के लिए रेल बजट दिनांक 25 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बजट दिनांक 28 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 36 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसद के समक्ष मुख्य कार्य, किसी भी संसदीय प्रजातंत्र में सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब सारे का सारा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के प्रारूपण के संबंध में सही स्थिति सुनिश्चित करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग से सूचना की जांच करता है।

तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। इस तरह की तीन बैठकें आयोजित की गई - पहली बैठक बजट सत्र से पूर्व दिनांक 15 फरवरी, 2011 को आयोजित की गई, दूसरी बैठक मानसून सत्र से पहले 25 जुलाई, 2011 को आयोजित की गई और तीसरी बैठक शीतकालीन सत्र से पूर्व 14 नवंबर, 2011 को आयोजित की गई। सरकारी कार्यों का सही आंकलन करने के पश्चात प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्यों का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की समयावधि के दौरान सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूचियां बनाई गई और संसद सदस्यों को परिचालन के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई। जिससे उन्हें सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर बोध हो जाता है और वे उन पर चर्चा के लिए भाग लेने की तैयारी कर सकते हैं।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 12 और राज्य सभा में 13 वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी समायोजन किया जा सके। वस्तुत: ऐसे समायोजन दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा के लिए 76 सूचियां और राज्य सभा के लिए 78 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 159 मदों (लोक सभा - 61, राज्य सभा -98) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। शासकीय दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उसे सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संबंध भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 पंद्रहवीं लोक सभा के छठे सत्र तथा राज्य सभा के 221वें सत्र की समाप्ति पर कुल 78 विधेयक (लोक सभा में 32 विधेयक और राज्य सभा में 46 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, दोनों सदनों में 58 विधेयक (लोक सभा में 49 विधेयक तथा राज्य सभा में 9 विधेयक) पुर:स्थापित किए गए, इस प्रकार कुल 136 विधेयक हो गए। इनमें से, दोनों सदनों द्वारा 36 विधेयक पारित किए गए (**परिशिष्ट-2**)। लोक सभा में दो विधेयक अर्थात (i) कंपनी विधेयक, 2009; और (ii) लोकपाल विधेयक, 2011 वापस लिए गए तथा राज्य सभा में एक विधेयक अर्थात श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2005 वापस लिया गया। लोकायुक्तों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला एक विधेयक अर्थात संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011 पारित नहीं किया जा सका क्योंकि विधेयक के सभी खंडों को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तदनुसार अध्यक्ष द्वारा मान लिया गया कि विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव का कोई लाभ नहीं है। पंद्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र और राज्य सभा के 224वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 96 विधेयक (लोक सभा में 47 विधेयक और राज्य सभा में 49 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन पेश किया जाएगा जैसाकि राष्ट्रपति निर्देश दें। केन्द्रीय सरकार का बजट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है-रेल और सामान्य। रेल बजट सामान्य बजट से दो से तीन दिन पहले पेश किया जाता है, जो

सामान्यत: फरवरी के महीने के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों का राज्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब रेल तथा वित्त कार्यभारी मंत्री अपने बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्रियों के भाषणों की समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में एक निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें निर्दिष्ट विधेयकों, मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और सदनों को प्रस्तुत दीर्घकालीन मूल नीति संबंधी दस्तावेजों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कागजातों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, रेल और सामान्य बजट पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4**)।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का आविष्कार आधुनिक उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय शायद ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंत में पैदा हुई, जबकि अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प

4.13 उन सरकारी प्रस्तावों/सांविधिक संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है जिन्हें प्रतिवेदित अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया, जिन पर विचार किया गया और जिन्हें स्वीकृत किया गया:-

क्र.सं.	विषय	तारीख (तारीखें)	लोक सभा		तारीख (तारीखें)	राज्य सभा	
			लिया गया समय			लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1.	वर्ष 1998 से 2009 तक दूर संचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आबंटन और कीमत में नीति निर्धारण की जांच हेतु संयुक्त समिति की नियुक्ति करने का प्रस्ताव। (स्वीकृत)	24.2.2011	3	42	1.3.2011	3	44
2.	रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व इत्यादि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के पहले प्रतिवेदन के पैरा 55, 56, 57, 58 और 62 में निहित सिफारिशों का अनुमोदन चाहने वाला सांविधिक संकल्प। (स्वीकृत)	7.3.2011	#	#	8.3.2011	#	#

रेल बजट और अनुदानों की अनुपूरक मागों (रेल) के साथ चर्चा की गई।

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
1.	विधायी	64	50	56	16	31.88%	34.65%
2.	वित्तीय	61	58	40	21	30.47%	24.86%
3.	गैर-वित्तीय	76	34	65	44	37.65%	40.49%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के दृश्यों के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा समय नीचे दर्शाया गया है:-

<u>लोक सभा</u>					
सत्र	कुल समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
7वां सत्र (15वीं लोक सभा)	138	00	24	43	17.9%
8वां सत्र (15वीं लोक सभा)	140	42	55	31	39.45%
9वां सत्र (15वीं लोक सभा)	140	00	73	30	52.5%
कुल =	418	42	153	44	36.71%

राज्य सभा

सत्र	कुल समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
222वां	115	00	23	50	20.56%
223वां	122	40	53	57	43.98%
224वां	115	00	56	13	48.88%
कुल =	352	40	134	00	37.9%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 8 और राज्य सभा में 3 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त लोक सभा में आधे घंटे की 3 चर्चाएं हुई और राज्य सभा में आधे घंटे की एक चर्चा हुई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या

(वर्ष 1952 से 2011 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

स्थगन प्रस्ताव

क्र.सं.	प्रस्ताव का पाठ, प्रस्तावक का नाम और परिणाम	चर्चा की तारीख	लिया गया समय घंटे मिनट
1.	विदेशी बैंकों में गैर-कानूनी तरीके से जमा किए गए धन से उत्पन्न स्थिति और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई। (श्री लालकृष्ण आडवाणी) (ध्वनि मत से अस्वीकृत)	14.12.2011	05 - 36

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबद्ध मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1.	"वोट के बदले कैश" के भुगतान के बारे में अखबार की रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 18.3.2011 को प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा। (श्री गुरूदास दासगुप्त)	प्रधान मंत्री कार्यालय	23.3.2011	04 - 34
2.	देश में अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के उत्थान की आवश्यकता पर चर्चा (श्री एस.के. सैदुल हक)	अल्पसंख्यक कार्य	24.3.2011 25.3.2011	04 - 14
3.	दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण श्रमजीवी वर्ग में व्यापक रूप से फैले असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। (श्री गुरूदास दासगुप्त)	वित्त	24.3.2011	00 - 01 (चर्चा अधूरी रही)
4.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संबंध में युवा कार्य और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक 2.8.2011 को लोक सभा के पटल पर रखे गए वक्तव्य पर चर्चा (श्री बासुदेव आचार्य)	युवा कार्य और खेल	9.8.2011	02 - 06 (चर्चा अधूरी रही)
5.	श्रीलंका में तमिलों के लिए राहत और पुनर्वास हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनके कल्याणार्थ अन्य उपायों पर चर्चा। (श्री टी.आर. बालू)	विदेश	16.8.2011 25.8.2011 26.8.2011	04 - 24

6.	लोकपाल की स्थापना के संबंध में प्रधान मंत्री द्वार दिए गए वक्तव्य और दिल्ली में दिनांक 16.8.2011 को हुई कुछ घटनाओं पर चर्चा। (श्रीमती सुषमा स्वराज, विपक्ष की नेता)	गृह	17.8.2011	05 - 15
7.	देश में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। (डॉ. मुरली मनोहर जोशी)	प्रधान मंत्री कार्यालय	24.8.2011 25.8.2011	06 - 10
8.	लोकपाल की स्थापना संबंधी मुद्दों पर वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा। (श्रीमती सुषमा स्वराज, विपक्ष की नेता)	वित्त	27.8.2011	08 - 16
9.	भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 22.11.2011 को प्रस्तुत वक्तव्य पर चर्चा। (श्री गुरूदास दासगुप्त)	वित्त	8.12.2011 9.12.2011	05 - 42
10.	गंगा नदी और हिमालय के निर्मम दोहन के कारण उनके अस्तित्व को हो रहे खतरे पर चर्चा। (कुंवर रेवती रमन सिंह)	पर्यावरण और वन	19.12.2011	03 - 27
11.	देश में कृषि संकट और कृषकों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं। (श्री बासुदेव आचार्य)	कृषि	22.12.2011	00 - 15 (चर्चा अधूरी रही)

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबद्ध मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1.	"वोट के बदले कैश" के भुगतान के बारे में अखबार की रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 18.3.2011 को प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से उत्पन्न मामले पर चर्चा। (श्री अरूण जेटली, विपक्ष के नेता)	प्रधान मंत्री कार्यालय	23.3.2011	02 - 30
2.	देश में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर 13 जुलाई, 2011 को मुंबई में हाल के धमाकों के संदर्भ में, से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। (डॉ. मनोहर जोशी)	गृह	3.8.2011 4.8.2011	05 - 08
3.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संबंध में युवा कार्य और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक 3.8.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखे गए वक्तव्य पर चर्चा (श्री अरूण जेटली, विपक्ष के नेता)	युवा कार्य और खेल	9.8.2011	02 - 17 (चर्चा अधूरी रही)
4.	देश में भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा। (श्री अरूण जेटली, विपक्ष के नेता)	प्रधान मंत्री कार्यालय	24.8.2011	04 - 55
5.	श्रीलंकाई तमिलों को पेश आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। (श्री डी. राजा)	विदेश	25.8.2011	03 - 24

6.	खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और आम आदमी पर इसके प्रभाव। (श्री वेंकैया नायडू)	वित्त	7.12.2011 8.12.2011	04 - 45
7.	वर्तमान कृषि संबंधी संकट से उत्पन्न स्थिति जिसके कारण देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। (श्री वेंकैया नायडू)	कृषि	15.12.2011 19.12.2011	06 - 58

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	**मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय घंटे मिनट**
1.	अल्प संख्यक कार्य	14.3.2011 15.3.2011	05 - 04

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने क्रमश: दिनांक 20.1.2011, 4.3.2011, 25.3.2011, 16.6.2011, 21.6.2011, 13.9.2011 और 31.10.2011 को 7 बैठकें की। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 25 मार्च और 9 सितंबर, 2011 को आयोजित अपनी बैठकों में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, उनके द्वारा अनुमोदित गैर सरकारी सदस्यों के 17 विधेयकों (लोक सभा में 10 और राज्य सभा में 7) और 18 संकल्पों (लोक सभा में 8 और राज्य सभा में 10) का विरोध करने अथवा संबंधित सदस्यों से उन्हें वापस लेने हेतु अनुरोध करने के लिए सरकार के रूख के मामलों का अनुसमर्थन करने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

5.5 दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 132 विधेयक (81 विधेयक लोक सभा में और 51 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	बाल कल्याण विधेयक, 2010 (श्री अधीर रंजन चौधरी)	13.8.2010 25.2.2011	वापस लिया गया
2.	अवैध आप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिक (पहचान और विवासन) विधेयक, 2009 (श्री बैजयंत पांडा)	25.2.2011 11.3.2011	वापस लिया गया
3.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 275ए और 371जे का अंतस्थापन) (प्रो. रंजन प्रसाद यादव)	11.3.2011 5.8.2011 19.8.2011	वापस लिया गया
4.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) (श्री सतपाल महाराज)	19.8.2011 2.9.2011	चर्चा अधूरी रही
राज्य सभा			
1.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (नए अनुच्छेद 371जे का अंत:स्थापन) (श्री के.बी. शानप्पा)	13.8.2010 25.2.2011	वापस लिया गया
2.	अवैध आप्रवासी (पहचान और विवासन) विधेयक, 2006 (डॉ. मनोहर जोशी)	5.8.2011 19.8.2011	वापस लिया गया
3.	सिक्किम राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2010 (श्री ओ.टी. लेपचा)	19.8.2011	चर्चा पूरी नहीं हुई

दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	बिहार राज्य को विशेष दर्जा (डॉ. भोला सिंह)	21.8.2010 18.3.2011 12.8.2011 26.8.2011	वापस लिया गया
2.	देश के मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज (श्री हरीश चौधरी)	26.8.2011	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1.	प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक को खाद्य और सामाजिक सुरक्षा विधेयक के रूप में पुन: तैयार करना। (श्री एन.के. सिंह)	4.3.2011 12.8.2011	वापस लिया गया
2.	निजी वृत्तिक संस्थानों और निजी मानद विश्वविद्यालयों में फीस, प्रवेश इत्यादि का विनियमन करने के लिए विस्तृत केंद्रीय विधान। (श्री के.एन. बालगोपाल)	18.8.2011	चर्चा पूरी नहीं हुई

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2011 के दौरान पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963

14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए। - श्री प्रह्लाद सिंह	10.4.2003

अध्याय – 6
अश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रियों द्वारा लोक सभा में 1127 आश्वासन और राज्य सभा में 962 आश्वासन दिए गए।
- लोक सभा में दिए गए 1160 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 721 आश्वासन पूरे कर दिए गए है।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 19 आश्वासन और राज्य सभा में 47 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयको, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान कुछ यह आश्वासन देते हैं, कि इन मामलों पर उपयुक्त कारवाई की जाएगी अथवा आपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समनवय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों मे से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहारण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं है। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ मे दिया गया हे और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होता है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचति करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भी भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में रखी जाती है । संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभापटल पर रखे जाने की सूचना दे दी जाती हैं।

6.5 वर्ष 2011 के दौरान, लोक सभा में 1127 आश्वासन दिए गए थे। जिनमें से 170 पूरे कर दिए गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा कोई भी आश्वासन नही छोडा गया और शेष 957 वर्ष के अन्त तक लंबित रहे। इस वर्ष के दौरान 1179 आश्वासनों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन (19 आंशिक पूर्ति के रूप मे), सभा पटल पर रखा गया। इसी प्रकार 962 आश्वासन राज्य सभा में दिये गये थे, उनमें से 101 पूरे कर दिये गये, 1 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया तथा शेष 860 वर्ष के अन्त तक लंबित रहे। इस वर्ष के दौरान 768 आश्वासनों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन (47 आंशिक पूर्ति के रूप मे), सभा पटल पर रखा गया । वर्ष 1956 से 2011 के दौरान दिये गए/पूरे किए गए/छोडे गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष रहे आश्वासनों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

लोक सभा

वर्ष	रिकार्ड किए गए कुल आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	1543	1543	-	1543	-	100
1957	893	893	-	893	-	100
1958	1324	1324	-	1324	-	100
1959	1138	1138	-	1138	-	100
1960	1000	1000	-	1000	-	100
1961	1244	1244	-	1244	-	100
1962	1333	1333	-	1333	-	100
1963	781	781	-	781	-	100
1964	883	883	-	883	-	100
1965	1073	1073	-	1073	-	100
1966	1542	1542	-	1542	-	100
1967	2116	2116	-	2116	-	100
1968	4174	4174	-	4174	-	100
1969	4260	4260	-	4260	-	100
1970	3331	3331	-	3331	-	100

1971	1824	1824	-	1824	-	100
1972	1577	1577	-	1577	-	100
1973	1757	1757	-	1757	-	100
1974	1789	1789	-	1789	-	100
1975	925	925	-	925	-	100
1976	521	521	-	521	-	100
1977	889	889	-	889	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	1069	1069	-	1069	-	100
1980	1105	1105	-	1105	-	100
1981	1587	1587	-	1587	-	100
1982	1541	1541	-	1541	-	100
1983	1726	1726	-	1726	-	100
1984	1284	1284	-	1284	-	100
1985	783	783	-	783	-	100
1986	1098	1098	-	1098	-	100
1987	2616	2615	-	2615	1	99.96
1988	1171	1170	-	1170	1	99.91
1989	1868	1866	-	1866	2	99.89
1990	2396	2394	-	2394	2	99.92
1991	1674	1673	-	1673	1	99.94
1992	2195	2194	-	2194	1	99.95
1993	1759	1759	-	1759	-	100
1994	2524	2524	-	2524	-	100
1995	1464	1464	-	1464	-	100
1996	700	699	-	699	1	99.86
1997	2093	2093	-	2093	-	100
1998	1127	1124	-	1124	3	99.73
1999	749	744	-	744	5	99.33
2000	1720	1717	-	1717	3	99.83
2001	1528	1518	-	1518	10	99.35
2002	1507	1496	-	1496	11	99.27
2003	1090	1070	-	1070	20	98.17
2004	1159	1130	-	1130	29	97.50
2005	1736	1642	1	1643	93	94.64
2006	1076	996	-	996	80	92.57
2007	1276	1172	-	1172	104	91.85
2008	1111	941	2	943	168	84.88
2009	1308	934	6	940	368	71.87
2010	1557	801	10	811	746	52.09
2011	1127	170	-	170	957	15.08
	86296	**83671**	**19**	**83690**	**2606**	**96.98**

राज्य सभा

वर्ष	रिकार्ड किए गए कुल आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	373	373	-	373	-	100
1957	238	238	-	238	-	100
1958	287	287	-	287	-	100
1959	235	235	-	235	-	100
1960	233	233	-	233	-	100
1961	257	257	-	257	-	100
1962	479	479	-	479	-	100
1963	218	218	-	218	-	100
1964	349	349	-	349	-	100
1965	1342	1342	-	1342	-	100
1966	436	436	-	436	-	100
1967	495	495	-	495	-	100
1968	827	827	-	827	-	100
1969	1104	1104	-	1104	-	100
1970	591	591	-	591	-	100
1971	447	447	-	447	-	100
1972	832	832	-	832	-	100
1973	1009	1009	-	1009	-	100
1974	724	724	-	724	-	100
1975	384	384	-	384	-	100
1976	781	781	-	781	-	100
1977	1117	1117	-	1117	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	748	748	-	748	-	100
1980	1391	1391	-	1391	-	100
1981	1688	1688	-	1688	-	100
1982	1466	1466	-	1466	-	100
1983	1472	1472	-	1472	-	100
1984	1082	1082	-	1082	-	100
1985	1315	1315	-	1315	-	100
1986	1295	1295	-	1295	-	100
1987	1810	1809	-	1809	01	99.94
1988	1705	1705	-	1705	-	100
1989	1420	1420	-	1420	-	100
1990	1642	1642	-	1642	-	100
1991	1678	1678	-	1678	-	100
1992	2052	2051	-	2051	01	99.95
1993	1544	1543	-	1543	01	99.94

1994	1261	1260	-	1260	01	99.92
1995	740	740	-	740	-	100
1996	672	671	-	671	01	99.85
1997	906	903	-	903	03	99.67
1998	232	228	-	228	04	98.28
1999	261	256	-	256	05	98.08
2000	706	703	1	704	02	99.72
2001	382	375	-	375	7	99.17
2002	679	654	-	654	25	96.32
2003	843	806	-	806	37	95.61
2004	544	511	-	511	33	93.93
2005	1152	1049	1	1050	102	91.15
2006	859	793	2	795	64	92.55
2007	810	765	2	767	43	94.69
2008	633	528	3	531	102	83.89
2009	706	642	3	645	61	91.36
2010	1074	552	6	558	516	51.96
2011	962	101	1	102	860	10.60
	50143	**48255**	**19**	**48274**	**1869**	**96.27**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए सभी आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनो का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उदेश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों से आश्वासनों की आवधिक पुनरीक्षा की गई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 15वीं लोक सभा ने सदन में 12वीं, 13वीं एवं 14वीं प्रतिवेदन दिनाँक 22 मार्च, 2011 को प्रस्तुत किया। इन प्रतिवेदनों पर कार्रवाई की गई और जहां कहीं आवश्यक हुआ समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई। इसी तरह सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा की 65वीं प्रतिवेदन दिनाँक 19 दिसंबर, 2011 को प्रस्तुत की गई। इस प्रतिवेदन पर जहां कहीं आवश्यक हुआ समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- 31.12.2010 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए 506 मामले और राज्य सभा में किए गए 153 विशेष उल्लेख उत्तर के लिए लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 972 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 413 विशेष उललेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 1478 मामलों में से 593 मामलों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 885 मामले शेष रह गए हैं।
- कुल 566 विशेष उल्लेखों में से 241 विशेष उल्लेखों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 325 विशेष उल्लेखों के मामले शेष रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों को इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित होती है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत एक सप्ताह में कोई सदस्य केवल एक ही मामला उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम 20 मामलें उठाने की अनुमति होती है।

नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तों के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है

जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यतः सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में प्रतिदिन उठाए गए इन मामलों का संगत उद्धरण जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संसदीय सचिवालयों द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार शामिल करते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि जिस दिन सदन में मामला उठाया गया है उसके एक महीने के भीतर उठाए गए प्रत्येक मामले पर पूरी कार्रवाई करके वांछित उत्तर संबंधित सदस्य को भेज दें और इस संबंध में संबंधित संसदीय सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचित कर दे।

7.4 वर्ष 2010 की समाप्ति पर लोक सभा में 506 मामले तथा राज्य सभा में 153 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान लोक सभा में 972 मामले और राज्य सभा में 413 मामले उठाये गए, जिससे कि लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों की कुल संख्या 1478 तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेखों की कुल संख्या 566 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2011 तक लोक सभा में 593 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए और 885 मामले लंबित रह गए। इसी प्रकार जहां तक राज्य सभा के मामलों के बारे में स्थिति का संबंध है, 31.12.2011 तक 241 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 325 मामले लंबित रह गए। संसद के दोनों सदनों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मंत्री महोदय के स्तर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अर्ध शासकीय पत्र भी भेजे गए।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित शून्य काल के दौरान दोनों सदनों के सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-

कभी सदस्य बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद मे औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी अक्सर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते हैं अथवा टिप्पणियां करते हैं। तब संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाही का उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से यथासम्भव उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.9.2000 को लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, यह मंत्रालय संसद के शीतकालीन सत्र 2000 से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे सभी मामलों के संबंध में भी सदनों की कार्यवाही के उद्धरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेज रहा है जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिए गए।

7.6 दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 896 मामले (लोक सभा: 799 और राज्य सभा: 97) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। जिनमें से 30 मामले (लोक सभा: 15, राज्य सभा: 15) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 35 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 108 बैठकें आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 वर्तमान संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का उनकी मुख्य रूप-रेखा पर उद्गम वर्ष 1954 में प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझावों में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झांकी प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी कम हो सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए थे तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी, जिन्हें इन दिशा-निर्देशों में शामिल किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। जिन्हें दिनांक 2.9.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं। **(परिशिष्ट-7)**

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) सदस्यों को एक परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है, यदि उसे किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं – तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य होगी।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और किसी भी अपेक्षित स्पष्टीकरण को देने हेतु बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, सामान्यत: नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। पंद्रहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए 35 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय **परिशिष्ट-9** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा

सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति का नाम**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	पर्यटन मंत्रालय	17.06.2011 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
2.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	21.06.2011 को मांऊट आबू, राजस्थान
3.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	1-2.07.2011 को पुणे, महाराष्ट्र
4.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	20.09.2011 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
5.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10.10.2011 को मुंबई, महाराष्ट्र
6.	पोत परिवहन मंत्रालय	04.11.2011 को कोचीन, केरल
7.	विद्युत मंत्रालय	04.11.2011 को शिलाँग, मेघालय
8.	खान मंत्रालय	08.11.2011 को उदयपुर, राजस्थान
9.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	15.11.2011 को उदयपुर, राजस्थान
10.	कोयला मंत्रालय	16.11.2011 को धनबाद, झारखंड

अध्याय-9

सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

<u>एक झलक</u>

- संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का जापान दौरा।
- संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का हंगरी और रूस का दौरा।
- संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का आइसलैंड, फिनलैंड और ऐस्टोनिया का दौरा।
- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों के लिए 21 संसद सदस्यों को नामांकित किया।

संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के विदेश दौरे

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए नि:संदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। नि:संदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों के तीन-चार शिष्टमण्डल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय मिशनों के परामर्श से और प्रधानमंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि संसदविदों का ऐसा एक सद्भावना शिष्टमंडल जनवरी – फरवरी, 2011 के महीने में जापान, मई, 2011 के महीने में हंगरी और रूस तथा जून, 2011 में आइसलैंड और फिनलैंड जाएगा।

26 जनवरी, 2011 से 2 फरवरी, 2011 तक जापान का दौरा

गठन

9.3 शिष्टमंडल का गठन निम्न प्रकार से था:-

1.	श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री और शिष्टमंडल के नेता
2.	श्री अश्विनि कुमार	योजना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री और उप नेता
3.	श्री विक्रम वर्मा	संसद सदस्य (राज्य सभा), भारतीय जनता पार्टी
4.	श्रीमती रानी नराह	संसद सदस्य (लोक सभा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5.	डा. अनूप कुमार साहा	संसद सदस्य (लोक सभा), सी पी आई (एम)
6.	श्री चंद्रकांत भाऊराव खैरे	संसद सदस्य (लोक सभा), शिव सेना
7.	श्री भूदेव चौधरी	संसद सदस्य (लोक सभा), जनता दल (यू)
8.	श्री धर्मेंद्र यादव	संसद सदस्य (लोक सभा), समाजवादी पार्टी
9.	श्री एमाकलानाथम गोविंदराजन सुगावनम	संसद सदस्य (लोक सभा), डी एम के
10.	डा. (श्रीमती) रत्ना डे	संसद सदस्य (लोक सभा), ए आई टी सी
11.	श्री भर्तृहरि महताब	संसद सदस्य (लोक सभा) और मुख्य सचेतक (बी जे डी)

9.4 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए:-

1.	श्रीमती उषा माथुर	सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
2.	श्रीमती आर.सी.ख्वाजा	संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
3.	श्री जेड.ए. नकवी	संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के निजी सचिव
4.	श्री जगदीश कुमार	अनुभाग अधिकारी, (प्रोटोकॉल और कल्याण) संसदीय कार्य मंत्रालय

9.5 जापान में, माननीय संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष महामहिम श्री ताकाहीरो

योकोमिची, जापान के विदेश मंत्री महामहिम सीजी मेहारा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (विपक्षी पार्टी) के अध्यक्ष महामहिम सदाकाजी तानीगाकी और कानसाई क्षेत्र के प्रभारी राजदूत महामहिम राययूइची तानाबे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों के बारे में चर्चा की और भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया और सभी क्षेत्रों में मैत्री संबंधों के ऊंचे स्तर की प्रशंसा की। बैठक के दौरान प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ने निवेश और व्यापार तथा पर्यटन के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क की आवश्यकता और भारत की आर्थिक क्षमता पर विचार किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं तथा भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक, तकनीकी, आर्थिक और सामरिक साझेदारी से उत्पन्न होने वाले प्रभावशाली फायदों पर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के दौरान, जापान के विदेश मंत्री ने भारत के साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी की साझेदारी के बारे में चर्चा की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष (महामहिम सदाकाजी तानीगाकी), जो कि विपक्ष में हैं, ने भी भारत और जापान के बीच गहरे संबंधों का समर्थन किया तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) और परमाणु संधि के मुद्दे को उठाया। श्री तानीगाकी ने भी हमें बताया कि जापान केवल शांति के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने की नीति के लिए कैसे प्रतिबद्ध है।

1 मई, 2011 से 10 मई, 2011 तक रूस और हंगरी का दौरा

गठन

9.6 शिष्टमंडल का गठन निम्न प्रकार से था:-

1.	श्री अश्विनि कुमार	योजना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री और शिष्टमंडल के नेता
2.	प्रो. अलका बलराम क्षत्रिय	संसद सदस्य (राज्य सभा), भा. रा. कां.
3.	श्री रमेश बैस	संसद सदस्य (लोक सभा) और मुख्य सचेतक (भारतीय जनता पार्टी)
4.	श्री डी. राजा	संसद सदस्य (राज्य सभा), सी पी आई
5.	श्री बलविन्दर सिंह भुंडर	संसद सदस्य (राज्य सभा), शि.अ.द.
6.	श्री संजय सिंह चौहान	संसद सदस्य (लोक सभा), रा.लो.द.
7.	श्री एच.के. दुआ	संसद सदस्य (राज्य सभा) नामांकित
8.	श्री अहमद सईद मलीहाबादी	संसद सदस्य (राज्य सभा), निर्दलीय

9.7 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए:-

1.	श्रीमती उषा माथुर	सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
2.	श्री एच.एल. नेगी	निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय
3.	श्री एस.के. साहा	योजना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री के निजी सचिव
4.	श्री देवाशीष बोस	अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

हंगरी का दौरा

9.8 दौरे के दौरान योजना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. अश्विनि कुमार ने हंगरी के विदेश मंत्री, डॉ.जानोस मार्तोनयी; राष्ट्रीय अर्थनीति मंत्री, डॉ. ज्योर्जी मेतोल्सी; हंगरी की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष श्री संदोर लेज़साक; और हंगरी-भारत अंतर संसदीय मैत्री दल के चेयरमैन डा. ज़सोल्ट होरवाथ के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। चर्चा के दौरान डा. कुमार ने कहा कि भारत को अगले 5-6 वर्षों के दौरान केवल आधारभूत संरचना के क्षेत्र के लिए 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर से ऊपर के निवेश की जरूरत है। हमारे शिष्टमंडल के नेता ने भी हंगरी की कंपनियों को भारत में आधारभूत सुविधाओं के विकास में प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित किया। दोनों पक्ष अगले तीन वर्ष में वर्तमान व्यापार को दोगुना करके 640 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1.2 बिलियन डालर करने पर भी सहमत हुए। संसदीय लोकतंत्र के कार्यचालन पर चर्चा के दौरान दोनों पक्ष नियमित आधार पर संसदीय आदान-प्रदान के माध्यम से संबंध और मजबूत करने पर संहमत हुए। हंगरी के विदेश मंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार वृहद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करती है। डॉ. कुमार और हंगरी के आर्थिक मंत्री ने अनुसंधान और विकास में सहयोग, इलैक्ट्रानिक्स, जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की। यूरोप 2020 विजन प्रतियोगितात्मकता और नवपरिवर्तन को समर्पित है और भारत ने 20 के दशक को नवपरिवर्तन का दशक घोषित किया है, इसके मद्देनजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 2 मिलियन यूरो की धनराशि को सक्रिय करने के बारे में भी सहमति हुई।

रूस का दौरा

9.9 रूस में मास्को के दौरे के दौरान योजना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. अश्विनी कुमार के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने स्टेट डयूमा (रूसी संसद के निचले सदन) की विदेश कार्य समिति के चेयरमैन महामहिम कोन्सटेंटिन कोसाचेव और समिति के अन्य सदस्यों तथा संघीय परिषद (रूसी संसद के उच्च सदन) के वाइस चेयरमैन महामहिम इलयास उमाखानोव से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सुरक्षा संबंधी गंभीर मुद्दों पर चर्चा की तथा आतंकवाद से लड़ने में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता की पुन:पुष्टि की। रूसी नेतृत्व ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई तथा जी-20, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स तथा संयुक्त राष्ट्र सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय सहयोग का प्रस्ताव रखा। दौरे के दौरान डा. कुमार ने जैव-प्रौद्योगिकी, अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी (नैनो प्रौद्योगिकी), चिकित्सा विज्ञान और मौसमविज्ञान के नए अनुसंधान क्षेत्रों के लिए की जा रही चर्चा में सहयोग सहित वर्तमान में चल रहे विभिन्न संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में हो रही प्रगति की भी समीक्षा की। शिष्टमंडल ने रूस में सेंट पीटर्सबर्ग का भ्रमण किया और सेंट पीटर्सबर्ग की लेजिसलेटिव असेंबली के डिप्टी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दूत श्री वातानायक यज्ञ से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने सीआईएस देशों की अंतर-संसदीय सभा परिषद के महासचिव श्री मीहाइल आई. क्रोतोव से मुलाकात की। श्री क्रोतोव ने शिष्टमंडल को सूचित किया कि सीआईएस देशों की अंतर-संसदीय सभा परिषद सीआईएस देशों में कानूनों की एकमतता और विधानों में सामंजस्य की दिशा में कार्य करती है। श्री क्रोतोव ने सूचित किया कि सीआईएस देशों की असेंबलीज के अध्यक्षों को ये प्राधिकार है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर परिषद के समझौते के बाद हस्ताक्षर किए जाएं। शिष्टमंडल को यह भी सूचित किया गया कि सीआईएस देश सीमा-शुल्क संघ में शामिल हो गए हैं। शिष्टमंडल के नेता ने इस असाधारण उपलब्धि के लिए सराहना व्यक्त की। सद्भावना शिष्टमंडल ने सोची, अर्थात वो स्थल जहां वर्ष 2014 में विंटर ओलम्पिक्स के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, का भी दौरा किया और शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों को आधारभूत संरचना की स्थापना, वित्तीयन की प्रक्रिया और रिहायशी भवनों सहित विस्थापित ढ़ांचों के पुनर्वास के साथ-साथ ओलम्पिक खेलों की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचित किया गया।

आइसलैंड, फिनलैंड और ऐस्टोनिया का दौरा - 23 जून,2011 से 30 जून, 2011

गठन

9.10 शिष्टमंडल का गठन निम्न प्रकार से था :-

1.	श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री और शिष्टमंडल के नेता
2.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	संसद सदस्य(लोक सभा), भा.रा.कांग्रेस
3.	श्री नंदी येल्लैया	संसद सदस्य (राज्य सभा) भा.रा.कां.
4.	श्री प्रकाश केशव जावड़ेकर	संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.ज.पा.
5.	श्री आर. थामराईसेलवन	संसद सदस्य (लोक सभा), डी.एम.के.
6.	श्री शैलेन्द्र कुमार	संसद सदस्य (लोक सभा), स.पा.
7.	श्री रंजीत सिंह विजयसिंह मोहिते पाटील	संसद सदस्य (राज्य सभा), एन.सी.पी.
8.	श्री बृजेश पाठक	संसद सदस्य (राज्य सभा), ब.स.पा.
9.	श्री अनंत गंगाराम गीते	संसद सदस्य (लोक सभा), शिव सेना
10.	श्री ओम प्रकाश यादव	संसद सदस्य (लोक सभा), निर्दलीय

9.11 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए:-

1.	श्रीमती आर.सी. ख्वाजा	संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
2.	श्री जेड.ए. नकवी	संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के निजी सचिव
3.	श्री जगदीश कुमार	अनुभाग अधिकारी, (प्रोटोकॉल और कल्याण) संसदीय कार्य मंत्रालय

आइसलैंड का दौरा

9.12 श्री पवन कुमार बंसल, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री के नेतृत्व में एक सद्भावना शिष्टमंडल ने आइसलैंड का दौरा किया और आइसलैंड के राष्ट्रपति महामहिम श्री ओलाफुर रागनार ग्रिमसन, अलथिंगी की राष्ट्रपति अर्थात आइसलैंड

संसद की अध्यक्ष सुश्री आस्ता आर. जोहानेसदोत्तीर, उद्योग, उर्जा और पर्यटन मंत्री महामहिम श्रीमती कैटरीन जूलियसदोत्तीर से मुलाकात की। अलथिंगी की राष्ट्रपति ने आइसलैंड आने वाले पहले भारतीय संसदीय सद्भावना शिष्टमंडल से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की और उम्मीद जताई कि ऐसी परस्पर बातचीत नियमित आधार पर होती रहेगी। भारत और आइसलैंड के बीच वर्तमान में गहरे संबंधों का संदर्भ देते हुए उन्होंने सहयोग को और बढ़ाने और दोनों देशों के बीच हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी जैव प्रौद्योगिकी और औषधीय, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि सहित नवीकरणीय ऊर्जा जैसे निर्धारित क्षेत्रों पर कार्य जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने अपनी संसद के कार्यचालन के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। दौरे के दौरान उद्योग, उर्जा और पर्यटन मंत्री महामहिम श्रीमती कैटरीन जूलियसदोत्तीर ने नवीकरणीय ऊर्जा विशेष तौर पर जियोथर्मल एनर्जी पर सहयोग के महत्व पर बल दिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने भी भूकंप की भविष्यवाणी और निगरानी में सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। आइसलैंड के राष्ट्रपति महामहिम श्री ओलाफुर रागनार ग्रिमसन, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त किया है, ने भी राष्ट्रपति निवास पर शिष्टमंडल का स्वागत किया और भारत के बारे में अपने अनुभव बांटे तथा भारत और आइसलैंड के बीच जियोथर्मल एनर्जी, मत्स्य उद्योग, जैव-प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विशेष संदर्भ सहित सहयोग के क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आइसलैंड में भारतीय निवेश का स्वागत किया। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने राष्ट्रपति के शिष्टमंडल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने का शुक्रिया किया और सौर-फलक तथा भूकंप संबंधी गतिविधि की निगरानी के लिए पूर्वसूचना अध्ययन और सोलर पैनल के निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत और आइसलैंड के बीच आपसी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए ऐसे और दौरे करने पर बल दिया।

फिनलैंड का दौरा

9.13 फिनलैंड के दौरे के दौरान सद्भावना शिष्टमंडल ने फिनलैंड के आर्थिक और रोजगार मंत्री महामहिम जायरी हाकामीस से मुलाकात की जिन्होंने भारत के साथ बढ़ते आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के महत्व का उल्लेख किया। फिनलैंड के आर्थिक और रोजगार मंत्री ने यह भी कहा कि फिनलैंड की कंपनियों ने नए प्रगतिशील उत्पादों और प्रौद्योगिकी का विकास किया है तथा वे इन प्रौद्योगिकी और उत्पादों को भारतीय कंपनियों को पेश करने के इच्छुक हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि फिनलैंड की सरकार ने दिल्ली में फिननोड कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। सदभावना शिष्टमंडल ने फिनलैंड की संसद का भ्रमण किया और उसके पूर्ण सत्र को देखा। दोनों पक्षों के बीच परस्पर संवाद हुआ और दोनों ने अपनी संबंधित संसदों, निर्वाचन प्रक्रिया, संसदीय समितियों और इसके कार्यचालन

की पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। बाद में, शिष्टमंडल ने भविष्य समिति (कमेटी आफ फ्यूचर) के डिप्टी चेयरमैन, श्री हरि जास्करी से मुलाकात की और फिनलैंड की संसद के बारे में और सूचना का आदान-प्रदान किया।

ऐस्टोनिया का दौरा

9.14 भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने ऐस्टोनियन संसद का दौरा किया और ऐस्टोनिया की संसद के उप-राष्ट्रपति महामहिम श्री जूरी रातास से मुलाकात की और उप-राष्ट्रपति महोदय ने उल्लेख किया कि ऐस्टोनिया आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग विकसित करने के लिए उत्सुक है। शिष्टमंडल ने ऐस्टोनिया के भारतीय सांस्कृतिक संघ और दल की अध्यक्ष सुश्री मेरीना मिक्कू, एमपी, एसडीपी, रक्षा समिति के चेयरमैन श्री रिसालू आइवर तथा सामाजिक कार्य समिति की सदस्य श्रीमती हेलमेन कुट सहित एस्टोनियन संसद के भारत-एस्टोनिया मैत्री दल के सदस्यों से मुलाकात की। सुश्री मिक्कू ने कहा कि ऐस्टोनियन संसदीय दल के 18 संसद सदस्य ऐस्टोनिया और भारत के बीच अच्छे आर्थिक और राजनैतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। आयोजक देशों के सांसदों ने भारत के प्रति अपना आभार और रूचि व्यक्त की तथा आगे सहयोग के लिए उत्साह जताया।

सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.15 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों के लिए और भारत में विदेशी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों के लिए भी संसद सदस्यों के नामांकन करते हैं। वर्ष 2011 के दौरान, निम्नलिखित संसद सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए शिष्टमंडल में नामांकित किया गया:-

1.	(i) श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच, संसद सदस्य (लोक सभा) (ii) श्रीमती सुमित्रा महाजन, संसद सदस्य (लोक सभा)	दिनांक 22.3.2011 से 04.04.2011 तक न्यूयार्क में आयोजित 55वां सत्र महिला स्थिति आयोग (सी डबल्यू सी)
2.	श्री जेसुदासु सीलम, संसद सदस्य (लोक सभा)	30-31 मार्च, 2011 तक थाईलैंड के बैंकाक में निवारण उपचार देखभाल और सहायता के लिए सार्वभौम पहुंच (यूनिवर्सल एक्सेस) पर एशिया पैसिफिक परामर्श

3.	(i) श्री ऑस्कर फर्नाडीस, संसद सदस्य (राज्य सभा) (ii) श्री जेसुदासु सीलम, संसद सदस्य (राज्य सभा)	न्यूयार्क में 8 से 10 जून, 2011 को आयोजित होने वाला एचआईवी/एड्स
4.	(i) डा.(श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड, संसद सदस्य (लोक सभा) (ii) डा. चार्ल्स डिएस, संसद सदस्य (लोक सभा) (iii) श्री बीरेंद्र प्रसाद, संसद सदस्य (राज्य सभा) (iv) श्री आर.के. सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)	5 से 11 जून, 2011 तक ऐस्टोनिया में ई-गवर्नेंस नीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन-संरचना और उत्कृष्ट परंपरा
5.	(i) श्री प्रताप सिंह बाजवा, संसद सदस्य (लोक सभा) (ii) श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य (लोक सभा) (iii) श्री के.सुधाकरन, संसद सदस्य (लोक सभा)	9 से 10 जून, 2011 तक कनाडा के टोरंटो में स्पीकर्स के लिए आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने के लिए
6.	(i) श्री हमदुल्लाह सईद, संसद सदस्य (लोक सभा) (ii) श्री अनुराग ठाकुर, संसद सदस्य (लोक सभा)	संयुक्त राष्ट्र के न्यूयार्क में 25-26 जुलाई, 2011 को युवा संवाद और आपसी समझ पर उच्च स्तरीय बैठक
7.	प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा)	23 से 26 जुलाई, 2011 तक भारत सरकार की सहायता से ये जिन में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए पांच सदस्यीय शिष्टमंडल का म्यांमार के लिए नेतृत्व किया।
8.	(i) डॉ. ज्योति मिर्धा, संसद सदस्य (लोक सभा) (ii) श्रीमती वसंती स्टेनली, संसद सदस्य (राज्य सभा)	2 अगस्त, 2011 को नई दिल्ली में अनुसचिवीय उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए

9.	(i) श्री वी. अरूण कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) (ii) श्री ईश्वर सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) (iii) श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा) (iv) श्री तिरूमावलावन थोल, संसद सदस्य (लोक सभा)	17 से 24 अक्तूबर, 2011 तक ऐस्टोनिया में ई-गवर्नेंस नीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन-संरचना और उत्कृष्ट परंपरा

विदेशों से आए संसदीय शिष्टमंडलों के साथ बैठक

9.16 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, विदेशों से निम्नलिखित संसदीय शिष्टमंडलों ने संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात की तथा संसद के कार्यचालन और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया:-

1.	7 फरवरी, 2011	आस्ट्रियन संसद की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्ष महामहिम श्रीमती बारबरा प्रामेर के नेतृत्व में आस्ट्रिया से 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
2.	24 मार्च, 2011	चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थाई समिति के विधायी कार्य आयोग (एलएसी) के चेयरमैन के नेतृत्व में चाइना से 7 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
3.	14 जुलाई, 2011	अफगानिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक के वोलेसी जिगरा के अध्यक्ष (स्पीकर) महामहिम श्री अब्दुल रऊफ इब्राहिमी के नेतृत्व में अफगानिस्तान से 20 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
4.	1 अगस्त, 2011	श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री चमाल राजपक्षा के नेतृत्व में श्रीलंका से 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
5.	28 नवंबर, 2011	बल्गारिया रिपब्लिक की राष्ट्रीय असेम्बली की अध्यक्ष महामहिम श्रीमती त्सेत्स्का त्सचेवा के नेतृत्व में बल्गारिया से 16 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
6.	1 दिसंबर, 2011	श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री चमाल राजपक्षा के नेतृत्व में श्रीलंका से 9 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल

7.	12 दिसंबर, 2011	पाईथू ह्लूटाव (म्यांमार की संसद के निचले सदन के अध्यक्ष) के अध्यक्ष महामहिम थूरा यू श्यू मान के नेतृत्व में म्यांमार से 30 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.17 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 47 संसद सदस्यों (राज्य सभा से 38 सदस्यों और लोक सभा से 9 सदस्यों) ने विदेशों के अपने निजी दौरों/अध्ययन दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.18 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता हो, उनके संबंध में गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.19 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा. सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.20 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में असम, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय - 10

युवा संसद योजना

<u>एक झलक</u>

- केंद्रीय विद्यालयों के लिए 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 13 जनवरी, 2011 को किया गया।
- विभिन्न "युवा संसद प्रतियोगिता" योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :-
  - (i) दिल्ली के विद्यालयों के लिए दिनांक 27.5.2011 को कॉन्सटीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में;
  - (ii) केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्रीय विद्यालय (के.वि.), माऊंट आबू, राजस्थान, के.वि., आई.आई.टी., चेन्नई और के.वि. नं.1, इंदौर में क्रमश: 22-23 अप्रैल, 2011, 29-30 अप्रैल, 2011 और 4-5 मई, 2011 के दौरान;
  - (iii) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि.), अलमोड़ा और ज.न.वि., वादवादूर, जिला कोट्टायम में क्रमश: 4-5 अप्रैल, 2011 और 17-18 अप्रैल, 2011 के दौरान।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 22 जुलाई, 2011 को किया गया।
- दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों के लिए 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2011-12 के 4 सर्वोत्तम विद्यालयों के प्रदर्शन की रिकार्डिंग 14 अक्तूबर, 2011 को जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम, संसदीय ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में की गई।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया

गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रधानाचार्यों/प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

1. 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी) दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.2 इस मंत्रालय ने प्रतिभागी विद्यालयों में 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 27 मई, 2011 को डिप्टी चेयरमैन हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पृष्ठभूमि संबंधी आवश्यक सामग्री वितरित की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा व्याख्यात्मक भाषण दिए गए। 33 विद्यालयों के 71 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों ने इस अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

46वीं युवा संसद प्रतियोगिता

10.3 वर्ष के दौरान 33 विद्यालयों के बीच 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता के मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग्यता क्रम में सर्वोत्तम 4 विद्यालयों के प्रदर्शन को लोक सभा टीवी द्वारा 14 अक्तूबर, 2011 को जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम, संसदीय ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में रिकार्ड किया गया और 23 तथा 30 नवंबर, 2011 को और 7 तथा 14 दिसंबर, 2011 को इसका प्रसारण किया गया।

जी.एम.सी. बालयोगी आडिटोरियम, संसदीय ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में दिनांक 14.10.2011 को 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2011-12 के लिए एस.एस.एल.टी., गुजरात उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली-54 के विद्यार्थियों द्वारा मंच प्रदर्शन।

2. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.4 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। अब तक 24 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोतगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.5 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 13 जनवरी, 2011 को जी.एम.सी. बालयोगी आडिटोरियम, संसदीय ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री वी. नारायणसामी, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। केन्द्रीय विद्यालय नं.2, सी.आर.पी.एफ., भुवनेश्वर, ओडिशा, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को प्रतियोगिता में प्रथम आने पर "पंडित जवाहर लाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती" और एक ट्राफी प्रदान की गई। पांच केन्द्रीय विद्यालयों को उनके अपने-अपने अंचलों में योग्य निष्पादन के लिए आंचलिक प्रथम ट्रॉफियां प्रदान की गई और 12 विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी केन्द्रीय विद्यालयों के

683 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए (540 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए और 143 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर)।

अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.6 अभिविन्यास पाठ्यक्रम को गहन और प्रयोजनमूलक बनाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परामर्श से मंत्रालय ने निम्न तीन अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए:-

(क) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 22 और 23 अप्रैल, 2011 को केन्द्रीय विद्यालय, माऊंट आबू, राजस्थान में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री आर.सी. महान्ति, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात अहमदाबाद, जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और जयपुर से 61 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों, 6 शिक्षा अधिकारियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के 1 अधिकारी ने भाग लिया।

(ख) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 29 और 30 अप्रैल, 2011 को केन्द्रीय विद्यालय, आई.आई.टी., चेन्नई में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री ए. मनोहरन, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुंबई और जबलपुर से 74 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और 6 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

(ग) तीसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 4 और 5 मई, 2011 को केन्द्रीय विद्यालय नं.1, इंदौर में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री ए. मनोहरन, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पटना और सिल्चर से 53 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और 6 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.7 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 90 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गई। तत्पश्चात, आंचलिक/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई।

3. जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.8 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक 14 प्रतियोगिताएं पूरी की जा चुकी हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.9 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 22 जुलाई, 2011 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री वी. नारायणसामी, माननीय संसदीय कार्य, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय, मैसूर, कर्नाटक ने अपने युवा संसद सत्र को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को "संसदीय चल वैजयंती" प्रदान की गई। आठ विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी विद्यालयों के 312 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों (248 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर और 64 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए) को भी प्रमाणपत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए।

दिनांक 22.07.2011 को आयोजित 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्री हरीश रावत, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय, मैसूर, कर्नाटक के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.10 युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, इस मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 के संबंध में दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम निम्न प्रकार आयोजित किए गए:-

(1) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 4 और 5 अप्रैल, 2011 को जवाहर नवोदय विद्यालय, अलमोड़ा, उत्तराखंड में चंडीगढ़, लखनऊ, पटना और शिलांग क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

(2) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 17 और 18 अप्रैल, 2011 को जवाहर नवोदय विद्यालय, वादवादूर, जिला कोट्टायम, केरल में हैदराबाद, पुणे, भोपाल और जयपुर क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालयों (ज.न.वि.) के लिए 15वीं युवा संसद प्रतियोगिता

10.11 प्रतियोगिता देश कें विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में आयोजित की जा रही है। क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर

नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई और उसके बाद अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.12 वर्ष 1997-98 से, पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में अब तक 10 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता (यु.सं.प्र.)

10.13 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों को क्रमश: रू.3,00,000/- वर्ष 2010-11 के लिए, रू.2,00,000/- और रू.4,65,947/- क्रमश: वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए तथा रू.4,00,000/- वर्ष 2009-10 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण

10.14 मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता योजना को आरंभ करने और कार्यान्वित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और साहित्य भी उपलब्ध कराता है। इस प्रयोजन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रधानाचार्यों, प्रभारी अध्यापकों और आयोजकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा आयोजित 'अभिविन्यास पाठ्यक्रमों' में, यदि अनुरोध किया जाता है तो इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा "युवा संसद प्रतियोगिता" के संचालन के सिद्धांत और प्रक्रिया संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य सरकार के अनुरोध पर, हरियाणा राज्य में प्रधानाचार्यों और युवा संसद कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ दिनांक 5 और 7 जुलाई, 2011 को दो स्थानों पर अर्थात राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करनाल, हरियाणा और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भिवानी, हरियाणा में आयोजित किए गए अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में मंत्रालय के दो अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिए गए थे और मंत्रालय ने युवा संसद प्रतियोगिताओं के संचालन संबंधी साहित्य भी उपलब्ध कराया।

अध्याय – 11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 29 मार्च, 30 जून, 24 अगस्त और 26 दिसंबर, 2011 को आयोजित की गई।

हिन्दी सलाहकार समिति

11.5 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान इस समिति की एक बैठक 18 मार्च, 2011 को आयोजित की गई। इस समिति का कार्यकाल 26 अक्तूबर, 2011 को समाप्त हो गया। समिति के पुनर्गठन हेतु कार्रवाई चल रही है।

11.6 मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यों ने एक हिंदी पत्रिका निकाले जाने का सुझाव दिया था जिस पर मंत्री महोदय ने मंत्रालय द्वारा एक पत्रिका निकालने का आश्वासन दिया था। तत्पश्चात मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा "संसदीय सरिता" शीर्षक से एक हिंदी पत्रिका तैयार की गई जिसे प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

11.7 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान तीन अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

11.8 1 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2011 के दौरान मंत्रालय में "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित छः प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गईः-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता;
4. हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता;
5. हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता; और
6. अंताक्षरी प्रतियोगिता।

11.9 हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 22 सितम्बर, 2011 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) और अपना समस्त कार्य हिंदी में करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 20 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह में बाएं से श्री एस. चंद्रशेखरन, सचिव, श्रीमती आर.सी. ख्वाजा, संयुक्त सचिव, श्री हरबंस लाल नेगी, निदेशक, श्री ए. मनोहरन, उप सचिव और श्री आर.सी. महान्ति, अवर सचिव

11.10 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग और अनुसंधान प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	कार्यान्वयन-I अनुभाग	100%
3.	कार्यान्वयन-II अनुभाग	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-II अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी-I अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिन्दी कार्यशाला

11.11 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान दो हिंदी कार्यशालाओं का संचालन किया गया। पहली कार्यशाला 21 से 30 मार्च, 2011 तक और दूसरी कार्यशाला 1 से 12 सितंबर, 2011 तक चलाई गई। इन कार्यशालाओं में 22 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

11.12 हिंदी कार्यशालाओं के अतिरिक्त मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए 7 जुलाई, 2011 को एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्रालय के कर्मचारियों को हिंदी संबंधी विभिन्न नवीनतम साफ्टवेयरों की जानकारी देने के लिए राजभाषा विभाग से अधिकारी आमंत्रित किए गए थे।

अध्याय - 12

सामान्य

सामान्य

एक झलक

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
  - (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 25 संसद सदस्य (16 लोक सभा और 09 राज्य सभा); और
  - (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 23 संसद सदस्य (12 लोक सभा और 11 राज्य सभा)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 25 संसद सदस्यों (16 लोक सभा और 09 राज्य सभा) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया, जैसा कि **परिशिष्ट-10** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-11** में दर्शाए गए रूप में 23 संसद सदस्यों (12 लोक सभा और 11 राज्य सभा) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.3 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा राज्य सभा की याचिका समिति के 139वें, 140वें, 141वें और 142वें प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते

12.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

12.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

12.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम 37) संसद द्वारा पारित किया गया था जिसके द्वारा सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन और पेंशन बढ़ाए गए थे। वेतन और भत्ते 18 मई, 2009 से बढ़ाए गए थे जोकि पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख है। अन्य भत्ते 1 अक्तूबर, 2010 से बढ़ाए गए थे।

12.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-12** और **परिशिष्ट-13** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.8 15वीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की रिपोर्टों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई। मंत्रालय के अधिकारीगण समिति के समक्ष भी उपस्थित हुए और समिति की प्राय: दोहराई गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में मौखिक साक्ष्य दिया।

संसद सदस्यों का कल्याण

12.9 इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों

की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

12.10 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.gov.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है। यह जानकारी मंत्रालय की अंग्रेजी वेबसाइट के साथ-साथ हिंदी वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है।

12.11 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कराता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान श्री अर्जुन सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) (आई एन सी) का दिनांक 04.03.2011 को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था। वह 81 वर्ष के थे। 6 मार्च, 2011 को एयरफोर्स के विमान द्वारा उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से इलाहाबाद ले जाया गया और वहां से हैलीकॉप्टर द्वारा उनके पैतृक नगर मध्य प्रदेश के चुरहाट में अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

12.12 संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद सदस्यों को सत्रावधि के दौरान उनके आवास से संसद भवन लाने और वापिस ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था का समन्वय करता है। मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था भी करता है।

12.13 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात तक बैठक (बैठकें) चलने के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्रि भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

फिल्म शो

12.14 संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समन्वय से संसद सदस्यों के लिए विभिन्न भाषाओं की फीचर फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

12.15 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह और निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

12.16 संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। इस वर्ष के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार से बैठकें बुलाई गई :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	बैठक किसके द्वारा बुलाई गई	विषय	स्थान
1.	08.02.2011	श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री	संसद का सुचारू कार्यचालन	प्राइवेट डाइनिंग रूम, संसदीय सौध, नई दिल्ली
2.	03.07.2011	डा. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री	लोकपाल विधेयक	7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली
3.	24.08.2011	डा.मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री	लोकपाल विधेयक	7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली
4.	29.11.2011	श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री	संसद का सुचारू कार्यचालन	कमरा नं.9, संसद भवन, नई दिल्ली

5.	07.12.2011	श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री	संसद का सुचारू कार्यचालन	कमरा नं.9, संसद भवन, नई दिल्ली
6.	14.12.2011	डा.मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री	लोकपाल विधेयक	7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

12.17 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

वर्ष के दौरान संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठकें

12.18 संसदीय कार्य मंत्री आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक सत्र से पहले संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठक आयोजित करते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान ऐसी तीन बैठकें 15.02.2011, 27.07.2011 और 16.11.2011 को आयोजित हुईं।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

12.19 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान के उद्देश्य से, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुमोदन से, वर्ष 1985 से मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया। अभी तक ऐसे पैंतीस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

12.20 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंततः पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। अभी तक ऐसे तेरह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

12.21 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जब संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर सलाह/मार्ग-दर्शन मांगा जाता है, उसे उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर सरकारी उपयोग के लिए विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

12.22 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका भी तैयार करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है।

12.23 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ट के स्टाफ द्वारा किया जाता है। वर्तमान में पुस्तकालय में 1366 पुस्तकें हैं।

12.24 दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:-

1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2011 तक अनुसंधान प्रकोष्ठ के कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यकलापों का ब्यौरा	उपलब्धि
1.	प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें:	पहली, चौथी, सातवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को भेजी गई। तथापि, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली और चौथी रिपोर्टों पर कार्रवाई प्रगति पर है।

2.	साख्यिकी पुस्तिका:	सांख्यिकी पुस्तिका 2011 का संकलन और प्रकाशन किया गया। (सांख्यिकी पुस्तिका 2011 का हिंदी रूपांतर तैयार कराया गया और उसे अंग्रेजी रूपांतर सहित मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया)
3.	सूचना के अधिकार संबंधी आवेदन:	22 मामलों पर कार्रवाई की गई।
4.	याचिकाएं जिन पर कार्रवाई की गई:	32 मामलों पर कार्रवाई की गई।

बजट की स्थिति

संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	**विषय-शीर्ष**	**बजट अनुमान 2011-2012**		**संशोधित अनुमान 2011-2012**		**बजट अनुमान 2012-2013**		**वास्तविक व्यय 2011-2012**	
		योजना	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
मुख्य शीर्ष "2052", सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय (लघु शीर्ष), 13-संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.01-वेतन	--	5,25,00	--	5,50,00	--	5,94,00	--	4,51,90
	13.00.03-समयोपरि भत्ता	--	4,00	--	4,00	--	4,00	--	3,22
	13.00.06-चिकित्सा उपचार	--	6,00	--	7,00	--	7,00	--	3,90
	13.00.11- देशीय यात्रा व्यय	--	20,00	--	20,00	--	20,00	--	10,29
	13.00.12-विदेशी यात्रा व्यय	--	1,65,00	--	2,30,00	--	2,50,00	--	81,08
	13.00.13-कार्यालय व्यय	--	1,10,00	--	1,20,00	--	1,30,00	--	93,29
	13.00.16-प्रकाशन	--	7,00	--	7,00	--	7,00	--	3,15
	13.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय	--	70,00	--	40,00	--	70,00	--	21,54
	13.00.50-अन्य प्रभार	--	1,41,00	--	70,00	--	90,00	--	23,99
	कुल मुख्य शीर्ष "2052"	**--**	**10,48,00**	**--**	**10,48,00**	**--**	**11,72,00**	**--**	**6,92,36**

वित्तीय वर्ष 2010-11 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी न भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुनः प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2010-11 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप

12.25 यह मंत्रालय नियुक्तियों इत्यादि में अक्षम व्यक्तियों के लाभों के मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

परिशिष्ट-1

(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय;
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क;
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां;
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख;
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता;
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे;
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले। संसदीय सचिव-कार्य;
15. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;
16. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;
17. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान;
18. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;
19. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका;

20. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)
21. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30);
22. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33);
23. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा
पंद्रहवीं लोक सभा का 7वां सत्र और राज्य सभा का 222वां सत्र					
क्र.सं.	**अधिनियम का नाम**	**विधेयक के पुरःस्थापन की तारीख (तारीखें)**	**विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख**		**अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति**
			लो.स.	**रा.स.**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
वित्त मंत्रालय					
1.	विनियोग अधिनियम, 2011	11.3.2011 (लो.स.)	11.3.2011	14.3.2011	2011 का 3 17.3.2011
2.	विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2011	17.3.2011 (लो.स.)	17.3.2011	24.3.2011	2011 का 4 28.3.2011
3	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2011	19.11.2010 (लो.स.)	1.3.2011	23.3.2011	2011 का 7 1.4.2011
4.	वित्त अधिनियम, 2011	28.2.2011 (लो.स.)	22.3.2011	24.3.2011	2011 का 8 8.4.2011
गृह मंत्रालय					
5.	कैदियों का संप्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 2011	16.8.2010 (लो.स.)	1.3.2011	23.3.2011	2011 का 6 1.4.2011
रेल मंत्रालय					
6.	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2011	7.3.2011 (लो.स.)	7.3.2011	8.3.2011	2011 का 1 11.3.2011
7.	विनियोग (रेल) संख्या 2 अधिनियम, 2011	7.3.2011 (लो.स.)	7.3.2011	8.3.2011	2011 का 2 11.3.2011
शहरी विकास मंत्रालय					
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2011	18.3.2011 (लो.स.)	18.3.2011	22.3.2011	2011 का 5 29.3.2011
पंद्रहवीं लोक सभा का 8वां सत्र और राज्य सभा का 223वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
9.	विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2011	5.8.2011 (लो.स.)	5.8.2011	11.8.2011	2011 का 9 17.8.2011
10.	सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011	17.12.2009 (लो.स.)	25.3.2011	11.8.2011	2011 का 11 1.9.2011

11.	सीमा-शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2011	8.8.2011 (लो.स.)	19.8.2011 25.8.2011	7.9.2011	2011 का 14 16.9.2011
12.	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन अधिनियम, 2011	18.12.2009 (लो.स.)	5.8.2011 11.8.2011	25.8.2011 30.8.2011	2011 का 17 12.10.2011
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
13.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011	2.8.2011 (लो.स.)	18.8.2011	26.8.2011 29.8.2011	2011 का 13 8.9.2011
14.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (संशोधन) अधिनियम, 2011	5.8.2010 (रा.स.)	18.8.2011	3.8.2011	2011 का 10 27.8.2011
15	मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011	18.12.2009 (लो.स.)	11.8.2011 12.8.2011	26.8.2011	2011 का 16 27.9.2011
गृह मंत्रालय					
16.	उड़िसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011	15.3.2010 (लो.स.)	9.11.2010 6.9.2011	24.3.2011	2011 का 15 23.9.2011
17.	संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011	15.3.2010 (लो.स.)	9.11.2010 6.9.2011	24.3.2011	23.9.2011
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
18.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011	16.4.2010 (रा.स.)	29.8.2011 2.9.2011	25.8.2011	2011 का 18 12.10.2011
महिला और बाल विकास मंत्रालय					
19.	किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011	16.11.2010 (रा.स.)	29.8.2011	19.8.2011	2011 का 12 7.9.2011
पंद्रहवीं लोक सभा का 9वां सत्र और राज्य सभा का 224वां सत्र					
कृषि मंत्रालय					
20	संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011	30.11.2009 (लो.स.)	21.12.2011 22.12.2011	28.12.2011	12.01.2012
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
21.	लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2011	28.4.2010 (रा.स.)	19.12.2011	12.12.2011	2012 का 10 13.01.2012
22.	कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2011	28.4.2010 (रा.स.)	19.12.2011	12.12.2011	2012 का 4 8.01.2012
23.	चार्टड अकांउटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2011	28.4.2010 (रा.स.)	19.12.2011	12.12.2011	2012 का 3 8.01.2012

वित्त मंत्रालय					
24.	विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2011	7.12.2011 (लो.स.)	7.12.2011	12.12.2011 13.12.2011	2011 का 19 19.12.2011
25.	जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011	31.7.2009 (लो.स.)	12.12.2011	14.12.2011	2012 का 8 12.01.2012
26.	भारतीय आयात-निर्यात बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2011	8.12.2011 (लो.स.)	21.12.2011	27.12.2011	2012 का 11 12.01.2012
27.	आढ़ती विनियमन अधिनियम, 2011	24.3.2011 (लो.स.)	21.12.2011	27.12.2011	2012 का 12 22.01.2012
गृह मंत्रालय					
28.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011	3.8.2010 (लो.स.)	6.8.2010 9.8.2010 7.12.2011	22.12.2011	2012 का 5 8.01.2012
सूचना और प्रसारण मंत्रालय					
29.	प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2011	31.8.2010 (रा.स.)	20.12.2011	8.12.2011	2012 का 6 8.01.2012
30.	केबल टेलीविजन तंत्र (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011	28.11.2011 (लो.स.)	13.12.2011	19.12.2011	2011 का 21 30.12.2011
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
31	पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन अधिनियम, 2011	16.3.2010 (लो.स.)	12.12.2011	21.12.2011	2012 का 9 12.01.2012
विद्युत मंत्रालय					
32.	दामोदर घाटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011	8.8.2011 (लो.स.)	7.12.2011	19.12.2011	2012 का 1 8.01.2012
रेल मंत्रालय					
33.	विनियोग (रेल) संख्या 3 अधिनियम, 2011	16.12.2011 (लो.स.)	16.12.2011	22.12.2011	2012 का 7 8.01.2012
विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय					
34	वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011	30.7.2010 (लो.स.)	23.3.2011 24.3.2011 5.9.2011	21.12.2011	2012 का 13 7.02.2012
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
35	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011	7.12.11 (लो.स.)	19.12.11	22.12.11	2012 का 2 8.01.2012
शहरी विकास मंत्रालय					
36.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011	12.12.11 (लो.स.)	12.12.11	14.12.11	2011 का 20 23.12.2011

परिशिष्ट-3

(देखें पैरा 4.7)

लोक सभा के 9वें सत्र और राज्य सभा के 224वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित सरकारी विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2010
2. रेलवे संपत्ति (विधिविरूद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2011

II. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011
4. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011
5. प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011
6. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011
7. विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011

III. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

8. संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011
9. प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010
10. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010
11. विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011
12. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011
13. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011
14. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी विधेयक, 2011
15. परमाणु सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011
16. राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार विधेयक, 2011
17. उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011
18. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2011

19. केबल टेलीविजन तंत्र (विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक, 2011
20. भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2011
21. खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011
22. कंपनी विधेयक, 2011
23. प्रेस तथा पुस्तकों और प्रकाशनों का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011
24. धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011
25. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011
26. सेवाओं का इलेक्ट्रानिक वितरण विधेयक, 2011
27. सामान और सेवाओं के समयबद्ध वितरण हेतु ग्राहकों का अधिकार और उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक, 2011
28. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011
29. क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र विधेयक, 2011
30. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011

IV. विधेयक जिन पर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

31. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009
32. संविधान (एक सौ बारहवां संशोधन) विधेयक, 2009
33. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रबंधन बोर्ड विधेयक, 2010
34. संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009
35. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2009
36. संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 – (चर्चा पूरी नहीं हुई)
37. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010
38. बांध सुरक्षा विधेयक, 2010
39. तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनृजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010
40. विदेशी शिक्षा संस्थान (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010
41. उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010
42. न्यायिक मानक और दायित्व विधेयक, 2010 – (चर्चा पूरी नहीं हुई)
43. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011
44. बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011
45. अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010
46. कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2010
47. शत्रु संपत्ति (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2010

राज्य सभा

I. संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987

II. लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक

2. शैक्षिक अधिकरण विधेयक, 2010 – चर्चा आस्थगित
3. प्रोद्यौगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010
4. राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011
5. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011
6. लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011
7. सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011

III. लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक जिन पर प्रवर समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

8. उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक खंड विधेयक, 2009 - चर्चा आस्थगित
9. यातना निवारण विधेयक, 2010
10. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010

IV. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

11. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1992

V. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

12. महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2011
13. राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य आयोग विधेयक, 2011
14. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011
15. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011

VI. विधेयक जिन पर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

16. प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता विधेयक,1990
17. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992
    (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)

18. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
19. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000
20. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
21. बीज विधेयक, 2004
22. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
23. केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
24. ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007
25. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
26. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
27. साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005
28. नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक, 2007
29. निजि जासूसी एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007
30. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007
31. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
32. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
33. राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009
34. रासायनिक हथियार कन्वेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010
35. लोक वित्तपोषित बौद्धिक संपत्ति का संरक्षण और उपयोग विधेयक, 2008
36. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010
37. यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010
38. प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010
39. वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010
40. विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010
41. केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010
42. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-तंत्र विज्ञान संस्थान, बंगलौर, विधेयक, 2010
43. बीमा विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008
44. भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010
45. बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण विधेयक, 2011
46. श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011
47. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
48. सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011

49. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011

परिशिष्ट – 4

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान रेल और सामान्य बजटों पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
(क) रेल बजट							
क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	घंटे	मिनट	तारीख (तारीखें)	घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) का प्रस्तुतीकरण	25.2.2011	1	33	25.2.2011	-	-
*2	वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा	4.3.2011 7.3.2011	9	58	3.3.2011 4.3.2011 8.3.2011	7	03
*3	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (ii) वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) (ii) वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान मांगें (रेल) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई।)				# #	# #	# #
4	वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान	13.12.2011 16.12.2011	5	21	#	#	#
(ख) सामान्य बजट							
1	वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) का प्रस्तुतीकरण	28.2.2011	1	50	28.2.2011	-	-
*2	वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा	8.3.2011 9.3.2011 11.3.2011	11	10	9.3.2011 10.3.2011 11.3.2011 14.3.2011	2	24
*3	वर्ष 2010-11 के लिए				#	#	#

	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान। (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई)						
4	ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	14.3.2011	4	56			
5	विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	15.3.2011 16.3.2011	6	48			
6	खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	16.3.2011	2	49			
7	निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और बिना चर्चा के पूर्ण रूप से पारित किया गया:- (1) कृषि (2) परमाणु ऊर्जा (3) रसायन और उर्वरक (4) नागर विमानन (5) कोयला (6) वाणिज्य और उद्योग (7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (8) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (9) कारपोरेट कार्य (10) संस्कृति (11) रक्षा	17.3.2011	0	07	#	#	#

	(12) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (13) पृथ्वी-विज्ञान (14) पर्यावरण और वन (15) वित्त (16) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (17) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (18) भारी उद्योग और लोक उद्यम (19) गृह (20) आवास और शहरी गरीबी उपशमन (21) मानव संसाधन विकास (22) सूचना और प्रसारण (23) श्रम और रोजगार (24) विधि और न्याय (25) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (26) खान (27) अल्पसंख्यक कार्य (28) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (29) प्रवासी भारतीय कार्य (30) पंचायती राज (31) संसदीय कार्य (32) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (33) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (34) योजना (35) विद्युत (36) लोक सभा (37) राज्य सभा (38) उप राष्ट्रपति (39) सडक परिवहन और राजमार्ग (40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (41) पोत परिवतन (42) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (43) अंतरिक्ष (44) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (45) इस्पात (46) वस्त्र (47) पर्यटन (48) जनजातीय कार्य (49) शहरी विकास (50) जल संसाधन (51) महिला और						

	बाल विकास (52) युवा कार्य और खेल						
8	वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान	4.8.2011 5.8.2011	3	53	#	#	#
9	वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान	7.12.2011	3	24	#	#	#

टिप्पणी: # राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.12)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	7.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां – 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां – 240 नहीं – 109 अनुपस्थित – 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.5.96 28.5.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने	10	51

			की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।		
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.6.96 12.6.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20
7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.4.97	अस्वीकृत हां – 190 नहीं – 338 अनुपस्थित – 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.4.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.3.1998 28.3.1998	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां – 269 नहीं – 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.7.2008 22.7.2008	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 256	15	11

परिशिष्ट – 6

(देखे पैरा 5.5)

दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

(1) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 – श्री असादुद्दीन ओवेसी

(2) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (गोरखपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2010 – श्री योगी आदित्यनाथ

(3) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 3 का संशोधन) – डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

(4) अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2010 (धारा 2 का संशोधन) – श्री एल. राजगोपाल

(5) सती (निवारण) संशोधन आयोग विधेयक, 2010 (धारा 2 का संशोधन आदि) - श्री एल. राजगोपाल

(6) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्त्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 14 का संशोधन) – एडवोकेट पी.टी. थॉमस

(7) गौ (संरक्षण) विधेयक, 2010 – श्री चंद्रकांत खैरे

(8) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2010 – श्री ए.टी. नाना पाटील

(9) रेल (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अध्याय XIIIक का अंतःस्थापन) – श्री ए.टी. नाना पाटील

(10) आवश्यक वस्तु कीमत निर्धारण आयोग विधेयक, 2010 – डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

(11) तकनीकी शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थाएं और विश्वविद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2010 – एडवोकेट पी.टी. थॉमस

(12) पोलियो-पश्चात् संलक्षण (शिक्षा, प्रशिक्षण और जानकारी) विधेयक, 2010 – श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला

(13) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुसूची का संशोधन) - एडवोकेट पी.टी. थॉमस

(14) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 29कक का अंतःस्थापन) – श्री जय प्रकाश अग्रवाल

(15) वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2010 - श्री जय प्रकाश अग्रवाल

(16) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 19 का संशोधन) - श्री जय प्रकाश अग्रवाल

(17) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 304क का संशोधन, आदि) – श्री अधीर रंजन चौधरी

(18) आत्महत्या-प्रयत्न को अदण्डनीय अपराध मानना विधेयक, 2010 - श्री अधीर रंजन चौधरी

(19) बंद कपड़ा मिल कर्मकार (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2010 – डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

(20) केला उत्पादक (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2010 – श्री ए.टी. नाना पाटील

(21) राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण एवं पुनर्वास प्राधिकरण विधेयक, 2010 - श्री ए.टी. नाना पाटील

(22) कॉफी उत्पादक कल्याण विधेयक, 2010 - श्री अधीर रंजन चौधरी

(23) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं में व्यास बेराजगारी का उन्मूलन विधेयक, 2010 - डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

(24) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए भाग 3क का अंतःस्थापन, आदि) – श्री मनीष तिवारी

(25) खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2011 (नई धारा 19क का अंतःस्थापन) - श्री हरिभाऊ जावले

(26) धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2011 – श्रीमती विजया चक्रवर्ती

(27) लोक नियोजन (भर्ती) विधेयक, 2011 - श्रीमती विजया चक्रवर्ती

(28) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 30क का अंतःस्थापन) – श्री पी.एल. पुनिया

(29) नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आयोग विधेयक, 2010 - श्री पी.एल. पुनिया

(30) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2010 (धारा 3 का संशोधन, आदि) - श्री पी.एल. पुनिया

(31) सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (धन उधार देने का विनियमन) विधेयक, 2010 - श्री पी.एल. पुनिया

(32) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 51क का संशोधन) – कुमारी सरोज पाण्डेय

(33) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन) – कुमारी सरोज पाण्डेय

(34) ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2010 – श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(35) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुसूची का संशोधन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(36) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2 का संशोधन आदि) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(37) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधन) विधेयक, 2010 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(38) महिला अधिकारिता विधेयक, 2011 – कुमारी सरोज पाण्डेय

(39) राष्ट्रीय कृषि उपज मूल्य आयोग विधेयक, 2011 – श्री राजू शेट्टी

(40) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 7 का संशोधन, आदि) – श्री एल. राजगोपाल

(41) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 124 और 216 का संशोधन) – श्री अर्जुन मेघवाल

(42) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 330क का अंतःस्थापन, आदि) – श्री अर्जुन मेघवाल

(43) राष्ट्रीय युवक आयोग विधेयक, 2011 – श्री अधीर रंजन चौधरी

(44) भूमि अर्जन विधेयक, 2011 – श्री जयंत चौधरी

(45) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन) – श्री एस. सेम्मलई

(46) मृत्यु दंड उत्सादन विधेयक, 2011 – श्री प्रदीप टम्टा

(47) सरकारी सेवक (आस्तियों की घोषणा औश्र अन्वेषण) विधेयक, 2011 - श्री प्रदीप टम्टा

(48) आसूचना सेवा (शक्तियां और विनियमन) विधेयक, 2011 – श्री मनीष तिवारी

(49) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (नई धारा 302क और 364ख का अंतःस्थापन) – श्रीमती सुषमा स्वराज

(50) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंतःस्थापन) – श्री निशिकांत दूबे

(51) भारतीय भाषाओं में विज्ञान, इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोग विधेयक, 2011 – श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(52) गौ संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2011 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(53) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुसूची का संशोधन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(54) गुटका और पान मसाला (प्रतिषेध) विधेयक, 2011 – डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

(55) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 72 का संशोधन) - डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

(56) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2011 - श्री अधीर रंजन चौधरी

(57) अंतराज्जीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2011 - श्री अधीर रंजन चौधरी

(58) विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक, 2011 – श्री अर्जुन मेघवाल

(59) पटना विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 – डॉ. भोला सिंह

(60) सरकारी सेवाएं (अनुकंपा नियुक्तियों का विनियमन) विधेयक, 2011 – श्री ए.टी. नाना पाटील

(61) टेलीविजन कार्यक्रम (विनियमन) विधेयक, 2011 - श्री ए.टी. नाना पाटील

(62) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 16क, आदि का अंतःस्थापन) – श्री पी.एल. पुनिया

(63) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2011 - श्री अर्जुन मेघवाल

(64) बालिका (निःशुल्क और अनिवार्य) शिक्षा विधेयक, 2010 – श्रीमती सुप्रिया सूले

(65) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 21ख, 21ग और 21घ का अंतःस्थापन) – श्री सी.आर. पाटील

(66) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 126 का संशोधन) – श्री मनीष तिवारी

(67) बृहत परियोजनाएं (समय पर पूर्ण करना) विधेयक, 2011 - श्री पी.एल. पुनिया

(68) गुजरात राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2011 – श्री सी.आर. पाटिल

(69) कुपोषण उन्मूलन विधेयक, 2011 – श्री भक्त चरण दास

(70) सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2011 – श्री अर्जुन मेघवाल

(71) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2011 (अध्याय-4 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन) – डॉ. महेंद्रसिंह पी. चौहाण

(72) कृषक (प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2011 - डॉ. महेंद्रसिंह पी. चौहाण

(73) सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2011 (धारा 3, आदि का संशोधन) – श्री मोहन जेना

(74) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 28 का लोप) – श्री मोहन जेना

(75) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (नई धारा 376ई का अंतःस्थापन) – श्री एम.के. राघवन

(76) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2011 (धारा 26 आदि का संशोधन) - श्री एम.के. राघवन

(77) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2011 – श्री भाउसाहेब आर. वाकचौरे

(78) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 6 और 8 का संशोधन) - श्री भाउसाहेब आर. वाकचौरे

(79) बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक, 2011 - श्री भाउसाहेब आर. वाकचौरे

(80) विस्थापित व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2011 – श्री एस. सेम्मलई

(81) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुसूची II का संशोधन) - श्री एस. सेम्मलई

राज्य सभा

(1) अधिकरणों और आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य (सेवा निवृत्ति आयु) विधेयक, 2010 – श्री महेंद्र मोहन

(2) परिवार में व्यभिचार और यौन उत्पीड़न (अपराध) विधेयक, 2010 - श्री महेंद्र मोहन

(3) संसद के अधिनियम (नागालैंड पर लागू किया जाना) विधेयक, 2010 – श्री खेकिहो झिमोमी

(4) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 53 के संशोधनार्थ) – श्री शांताराम लक्ष्मण नायक

(5) गन्ना उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2010 – श्री शादी लाल बत्रा

(6) जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2010 - श्री शादी लाल बत्रा

(7) ग्रामीण विद्युतकरण प्राधिकरण विधेयक, 2010 - श्री शादी लाल बत्रा

(8) भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 2010 – श्री नरेंद्र कुमार कश्यप

(9) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 16 के संशोधनार्थ) - श्री नरेंद्र कुमार कश्यप

(10) संकटग्रस्त किसान (विशेष सुविधाएं, संरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2010 – डॉ. अखिलेश दास गुप्ता

(11) आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता विधेयक, 2010 - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता

(12) अनधिकृत कालोनियाँ, मलिन और झुग्गी बस्तियाँ (कल्याण, बुनियादी सुविधाएं और अन्य प्रावधान) विधेयक, 2010 - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता

(13) निराश्रित और उपेक्षित महिला (कल्याण) विधेयक, 2010 – श्री अवतार सिंह करीमपुरी

(14) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा विधेयक, 2010 - श्री अवतार सिंह करीमपुरी

(15) खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2010 – श्री श्रीगोपाल व्यास

(16) शैक्षणिक संस्थाओं में शारीरिक दंड का उत्सादन विधेयक, 2010 – श्री पी. राजीव

(17) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 25 के संशोधनार्थ) – सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा

(18) परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 – श्री मोहन सिंह

(19) जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2010 – श्री मोहन सिंह

(20) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 51ख का अंतःस्थापन) – श्री मोहन सिंह

(21) एकांतता का अधिकार विधेयक, 2010 – श्री राजीव चंद्रशेखर

(22) नक्सली हिंसा के कृत्यों के पीड़ित (राहत और पूनर्वास) विधेयक, 2010 – श्री राजीव चंद्रशेखर

(23) नवीकरणीय ऊर्जा (संवर्धन और अनिवार्य उपयोग) विधेयक, 2010 - श्री राजीव चंद्रशेखर

(24) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 348 के संशोधनार्थ) – श्री प्रभात झा

(25) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010 - श्री प्रभात झा

(26) मीडिया परिषद विधेयक, 2010 - श्री प्रकाश जावडेकर

(27) गैर-नाभिकीय औद्योगिक दुर्घटना के लिए लोक दायित्व विधेयक, 2010 - श्री प्रकाश जावडेकर

(28) संधियों पर परामर्श और उनका अनुसमर्थन विधेयक, 2011 - श्री प्रकाश जावडेकर

(29) देवनागरी लिपि का अध्ययन (राष्ट्रीय एकता के लिए) विधेयक, 2011 – श्री एम. रामा जोयिस

(30) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (दसवीं अनुसूची का संशोधन) – श्री थॉमस संगमा

(31) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 324 का संशोधन) – श्री मोहन सिंह

(32) व्यथित और उपेक्षित विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं (भरणपोषण, समर्थन और कल्याण) विधेयक, 2011 – डॉ. अखिलेश दास गुप्ता

(33) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालिकाओं के दुर्व्यापार का निवारण विधेयक, 2011 - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता

(34) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेदों 80क और 171क का अंतःस्थापन) - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता

(35) किसान (ऋणग्रस्तता का निराकरण और कल्याण) विधेयक, 2011 – श्री आर.सी. सिंह

(36) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 24क का अंतःस्थापन) - श्री आर.सी. सिंह

(37) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011 – श्री पी. राजीव

(38) इंडोसल्फान नाशकजीवमार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011 – श्री पी. राजीव

(39) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 – श्री डी. राजा

(40) भ्रष्टाचार-रोधी, शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार-सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011 – श्री एम.वी. मैसूरा रेड्डी

(41) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक, 2011 – श्री महेंद्र मोहन

(42) आश्रय का अधिकार विधेयक, 2011 – श्री एन.के सिंह

(43) विवाहों में अपव्यय और असीमित व्यय का निवारण विधेयक, 2011 – प्रो. पी.जे. कुरियन

(44) मध्य प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2010 – श्री प्रभात झा

(45) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) – श्री तरूण विजय

(46) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 15 के संशोधनार्थ) – श्री तरूण विजय

(47) बालिका (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा) विधेयक, 2010 – डॉ. सुब्बारामी रेड्डी

(48) उत्तर प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2011 – श्री नरेंद्र कुमार कश्यप

(49) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन) – श्री नरेंद्र कुमार कश्यप

(50) रैगिंग का प्रतिषेध और उन्मूलन विधेयक, 2011 – डॉ. जनार्दन वाघमरे

(51) त्रासदायक अंधविश्वासपूर्ण प्रथाओं का निवारण विधेयक, 2011 - डॉ. जनार्दन वाघमरे

परिशिष्ट-7
(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संघटन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से

कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. <u>बैठकें</u>

<u>बैठकों की संख्या</u>

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

<u>परामर्शदात्री समिति पर नामांकन</u>

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

1. .....
2. .....
3. .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(सुवाच्य अक्षरों में)

सदस्य:लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

दूरभाष तथा फैक्स नं.

(क) दिल्ली का पता .....

(ख) स्थायी पता .....

सेवा में

निदेशक,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली।

परिशिष्ट-8

(देखें पैरा 8.4)

15वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

1	कृषि मंत्रालय
2	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3	नागर विमानन मंत्रालय
4	कोयला मंत्रालय
5	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7	रक्षा मंत्रालय
8	पर्यावरण और वन मंत्रालय
9	विदेश मंत्रालय
10	वित्त मंत्रालय
11	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
13	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
14	गृह मंत्रालय
15	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
16	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
17	श्रम और रोजगार मंत्रालय
18	विधि और न्याय मंत्रालय
19	खान मंत्रालय
20	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
21	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
22	विद्युत मंत्रालय
23	रेल मंत्रालय
24	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
25	ग्रामीण विकास मंत्रालय

26	पोत परिवहन मंत्रालय
27	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
28	इस्पात मंत्रालय
29	वस्त्र मंत्रालय
30	पर्यटन मंत्रालय
31	जनजातीय कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय
32	शहरी विकास मंत्रालय
33	जल संसाधन मंत्रालय
34	महिला और बाल विकास मंत्रालय
35	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट-9
(देखें पैरा 8.5)

परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	5
बैठकों की तारीखें	17.03.2011, 08.06.2011, 10.08.2011, 21.10.2011, 15.12.2011
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.), कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलकृषि, ग्रामीण भंडारण योजना और दलहन गावों का एकीकृत विकास, उत्पादकता और लाभप्रदत्ता बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	20.09.2011 (श्रीनगर), 14.12.2011
चर्चा किए गए विषय	बंद उर्वरक इकाइयों को फिर से चालू करना और यूरिया में पोषक तत्व आधारित अनुदान, पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.)
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	19.07.2011, 08.09.2011, 20.10.2011, 09.11.2011
चर्चा किए गए विषय	सामान्य चर्चा, पवन हंस हेलिकाप्टर लिमिटेड, उत्प्रवासन प्रबंधन और प्रवासी कामगारों का कल्याण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोयला मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	05.07.2011, 06.09.2011, 16.11.2011 (धनबाद)
चर्चा किए गए विषय	कोयला खदानों के कामगारों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विशेष संदर्भ सहित उनके रहन-सहन की स्थिति संबंधी मुद्दे, कोयले की छुटपुट चोरी/चोरी और इसे रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	29.03.2011, 03.11.2011
चर्चा किए गए विषय	आइ.पी.आर. नीति की चुनौतियों का सामना करना – अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों, अगले तीन वर्षों में निर्यात को दुगुना करने के लिए रणनीति और उसकी वर्तमान प्रवृत्ति
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	13.06.2011, 23.08.2011, 17.11.2011
चर्चा किए गए विषय	डाक विभाग के अंतर्गत डाक इष्टतमीकरण परियोजना, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजनाः ब्रॉडबैंड पर राष्ट्रीय फाइबर आप्टिक नेटवर्क तथा यू.एस.ओ.एफ. योजनाएं, (i) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक नीति 2011 (एन.पी.ई.-2011); (ii) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2011 (एन.पी.आई.टी.-2011); और (iii) राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति-2011
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	07.09.2011, 21.11.2011
चर्चा किए गए विषय	बहु क्षेत्रिय विकास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 11वीं योजना की उपलब्धियां और 12वीं योजना के लक्ष्य
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	02.02.2011, 08.06.2011, 26.09.2011, 15.12.2011
चर्चा किए गए विषय	रक्षा संपदा, राष्ट्रीय कैडेट कोर और सैनिक स्कूल, तट रक्षकों सहित नौसेना रक्षा, पूर्व सैनिकों का पुनर्वास और समस्याएं
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	04.02.2011, 10.05.2011, 26.08.2011, 25.11.2011
चर्चा किए गए विषय	भारत और संयुक्त राष्ट्र, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीकी देंशों के साथ भारत के संबंध, भारत-रूस संबंध

वित्त मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	20.01.2011, 01.06.2011, 02.11.2011, 26.12.2011
चर्चा किए गए विषय	बजट-पूर्व परामर्श, सार्वजनिक व्यय सुधार, सीमा शुल्क में व्यापार सुविधा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और भविष्य के लिए रोड मैप
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	12.05.2011, 25.08.2011, 04.11.2011, 21.12.2011
चर्चा किए गए विषय	वर्ष 2011-12 पर केंद्रित रहते हुए 11वीं योजना की निष्पादन समीक्षा और 12वीं योजना के लिए सुझाव, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ढ़ांचागत विकासः मेगा फूड पार्क योजना, ठंडे पदार्थों श्रृंखला (कोल्ड चेन) और बूचड़ खानें, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण, भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.सी.पी.टी.), तंजावूर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	5
बैठकों की तारीखें	24.03.2011, 29.06.2011, 08.09.2011, 14.11.2011, 21.12.2011
चर्चा किए गए विषय	आयुष विभाग की गतिविधियां, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गैर-संक्रामक रोग (एन.सी.डी.), (i) गैर- संक्रामक रोग और (ii) संक्रामक रोग, संक्रामक रोग
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	10.03.2011, 14.07.2011, 04.10.2011, 22.12.2011
चर्चा किए गए विषय	मंत्रालय के कार्यचालन पर सामान्य चर्चा, सामान्य चर्चा, मंत्रालय के कार्यचालन पर सामान्य चर्चा, कच्चा तेल पेट्रोलियम (रिफाईनरी तथा विपणन)

गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	5
बैठकों की तारीखें	09.02.2011, 15.04.2011, 03.06.2011, 02.09.2011, 25.11.2011
चर्चा किए गए विषय	उत्तर-पूर्व में उग्रवाद – शांति प्रक्रिया, अपराध और अपराधी ट्रेकिंग और नेटवर्क सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.), आपदा प्रबंधन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, कम्यूनिटि पुलिसिंग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	13.07.2011, 28.09.2011, 17.11.2011
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता ढांचा (एन.वी.ई.क्यू.एफ.), उच्चतर शिक्षा विभाग में विधायी सुधार, भारतीय भाषाओं का विकास, भारत की संकटग्रस्ट भाषाओं और शास्त्रीय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	11.03.2011, 1-2.07.2011 (पुणे), 02.12.2011
चर्चा किए गए विषय	भारतीय प्रैस परिषद्, भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे, सामुदायिक रेडियो सेवा
विधि और न्याय मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	16.05.2011, 09.11.2011, 21.12.2011
किए गए विषय	(i) ई-कोर्टस परियोजनाओं में प्रगति (ii) कानूनी शिक्षा, कानूनी सहायता कार्यक्रम, न्याय प्रदाता मिशन
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	23.02.2011, 29.06.2011, 29.08.2011, 21.12.2011
चर्चा किए गए विषय	कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय का कार्यचालन (डी.जी.एफ.ए.एस.एल.आई.), केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड का कार्यचालन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कार्यचालन, दक्षता विकास

खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	06.07.2011, 07.09.2011, 08.11.2011 (उदयपुर), 14.12.2011
चर्चा किए गए विषय	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) का कार्यचालन, खनिज क्षेत्र के लिए सुस्थिर विकास फ्रेमवर्क (एस.डी.एफ.), सी.एस.आर. प्रस्तावों सहित नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) की वर्तमान स्थिति और भावी योजनाएं,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	26.08.2011, 10.10.2011 (मुबंई)
चर्चा किए गए विषय	पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य और अल्प वसूलियां
विद्युत मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	11.07.2011, 25.08.2011, 04.11.2011 (शिलांग), 13.12.2011
चर्चा किए गए विषय	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 11वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि, नीपको की समीक्षा, सतलुज जल विद्युत निगम (एस.जे.वी.एन.एल.) की समीक्षा
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	16.08.2011, 21.11.2011
चर्चा किए गए विषय	सुरक्षा और बचाव, भारतीय रेल पर खान-पान सेवा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	18.02.2011, 16.05.2011, 05.09.2011, 15.11.2011 (उदयपुर)
चर्चा किए गए विषय	वामपंथी चरमपंथियों के प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास, सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय रजिस्टर की स्थापना और राष्ट्रीय परिवहन पोरटल का आरंभ, राष्ट्रीय राजमार्गों का संचालन और रखरखाव – कार्ययोजना और मुद्दे

ग्रामीण विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	04.08.2011, 24.08.2011
चर्चा किए गए विषय	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.इ.जी.ए.), भूमि अधिग्रहण तथा पूनर्वास एवं पुनःस्थापना विधेयक, 2011
पोत परिवहन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	15.03.2011, 06.09.2011, 04.11.2011 (कोचीन)
चर्चा किए गए विषय	भारतीय जहाज़रानी निगम, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, क्रूज शिप्पिंग
सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	08.02.2011, 22.06.2011, 28.09.2011, 16.12.2011
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय ट्रस्ट, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एन.आई.ओ.एच.), भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	15.02.2011, 26.09.2011
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटिड का कार्यचालन, स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) का कार्यचालन
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	12.10.2011, 09.11.2011, 23.12.2011
चर्चा किए गए विषय	कपास निर्यात नीति और वस्त्र क्षेत्र में सामान्य मंदी, एन.एस.टी.एफ.डी.सी. के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए योजना, (i) एकीकृत योग्यता विकास योजना और (ii) एकीकृत वस्त्र पार्क के लिए योजना

जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	23.02.2011, 09.11.2011
चर्चा किए गए विषय	अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए बाल/बालिका हॉस्टल, एन.एस.टी.एफ.डी.सी. के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए योजना
पर्यटन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	17.06.2011 (श्रीनगर), 08.09.2011, 07.12.2011
चर्चा किए गए विषय	पर्यटन पर सामान्य समीक्षा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के मद्देनजर पर्यटन क्षेत्र के लिए चुनौतियां, हुनर से रोजगार तक
शहरी विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	14.02.2011, 14.07.2011, 28.10.2011
चर्चा किए गए विषय	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सुधार (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), शहरी परिवहन, छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी ढांचा विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)
जल संसाधन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1
बैठकों की तारीखें	27.05.2011
चर्चा किए गए विषय	केंद्रीय जल आयोग की भूमिका और कार्य विशेषकर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के संबंध में (ए.आई.बी.पी.)
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	21.06.2011 (मांऊट आबू), 06.09.2011, 18.11.2011
चर्चा किए गए विषय	भारत में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, गोद लेना – प्रत्येक बच्चे के लिए एक सुंदर घर, आई.सी.पी.एस. का कार्यान्वयन

युवा कार्य और खेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	09.03.2011, 14.10.2011
चर्चा किए गए विषय	(i), भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद विकास संहिता, 2011; और (ii) मसौदा राष्ट्रीय खेल (विकास) विधेयक, 2011, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आर.जी.एन.आई.वाई.डी. - संरक्षक समूह की रिपोर्ट

परिशिष्ट-10

(देखें पैरा 12.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	सुश्री इंग्रिड मैक्लोड श्री टी.के.एस. इलेंगोवन श्री कल्याण बनर्जी श्री कबीद्रं पुरकायस्थ	डॉ. राम प्रकाश श्रीमती कनिमोझी	03.01.2011
2.	चीनी उद्योग विकास परिषद (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार श्री राजेंद्र अग्रवाल	श्री अविनाश पांडे	04.01.2011
3.	केंद्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय)	श्री मिलिंद मुरली देवरा श्री गौरवनाथ पांडे	श्री जेसूदासू सेलम	04.01.2011
4.	भारतीय खाद्य निगम की परामर्शदात्री समिति, आंध्र प्रदेश (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	श्री राजैया सिरिसिल्ला	--	14.01.2011
5.	नेहरू युवा केंद्र संगठन का शासी निकाय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	--	डॉ. विजयलक्ष्मी साधो	18.01.2011

6.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की सामान्य परिषद (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	श्री राजैया सिरिसिल्ला श्री अर्जुन मेघवाल	डॉ. राम दयाल मुंडा	26.05.2011
7.	उर्दु भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	श्री जफर अली नकवी श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	श्री जावेद अख्तर	26.05.2011
8.	भारतीय खाद्य निगम की परामर्शदात्री समिति, चंडीगढ़ (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	श्री विजय इंदर सिंगला	--	14.06.2011
9.	भारतीय मानक ब्यूरो	श्री ललित मोहन शुक्लबैद्य	डॉ. दसारी नारायण राव	19.10.2011
10.	बाल श्रम पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (श्रम और रोजगार मंत्रालय)	श्री मानिक टैगोर	श्री बलवंत आप्टे	01.12.2011

परिशिष्ट-11

(देखें पैरा 12.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग)	श्री ताकम संजोय श्री राजैया सिरिसिला	डॉ. महेंद्र प्रसाद श्री शादी लाल बत्रा	17.01.2011
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग)	श्रीमती पुतुल कुमारी	--	28.03.2011
3.	नागर विमानन मंत्रालय	--	श्री अक्ष अली टाक	23.08.2011
4.	शहरी विकास मंत्रालय	श्री सोमाभाई जी. कोली पटेल श्री गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी	श्री हुसेन दलवी श्री भारत कुमार राऊत	06.09.2011
5.	कोयला मंत्रालय	श्री रघुवीर सिंह मीणा	--	29.9.2011
6.	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	श्री प्रेमदास राय श्री बसोरी सिंह मासराम	श्रीमती माया सिंह श्री प्रदीप भट्टाचार्य	19.10.2011
7.	जल संसाधन मंत्रालय	सुश्री मीनाक्षी नटराजन श्रीमती जया प्रदा	श्री मो. अली खान श्री रघुनंदन शर्मा	22.12.2011
8.	संसदीय कार्य मंत्रालय	श्री संदीप दीक्षित श्री लालजी टंडन	श्री पंकज बोरा श्री मो. अदीब	27.12.2011

परिशिष्ट-12

(देखें पैरा 12.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये 50,000/- प्रतिमाह दिनांक 18.5.2009 से
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 1.10.2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01.01.2010 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 15,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 30,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा।
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक काल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, को अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देते हैं।

		सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के उपयोग करने के लिए किसी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक टेलीफोन पर ब्राडबैंड सुविधा भी इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाती है कि किराया रू.1500/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (जिनमें होस्टल आवास शामिल है)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। बिना किराए के फर्नीचर रूपये 60,000/- की आर्थिक सीमा तक स्थायी फर्नीचर और रूपये 15,000/- तक गैर-स्थायी फर्नीचर और मूल्यह्रास पर आधारित फर्नीचर की अतिरिक्त मदों के लिए किराया।

		प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 1.10.2010 से रूपये 4,00,000/- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू दर के ब्याज पर। इस धनराशि को 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर वापिस लिया जाएगा। यह अवधि संसद सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

9.	पूर्व सांसदों को पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
10.	संसद सदस्य का उसके कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उसकी पत्नी/पति/आश्रित को पेंशन।	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति सांसद हो) अथवा आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
11.	यात्रा भत्ता	**<u>रेल</u>:** एक प्रथम श्रेणी + एक द्वितीय श्रेणी का भाड़ा **<u>वायुयान</u>**: किसी भी एयरलाइन्स में एक और एक चौथाई वायुयान भाड़ा। नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **<u>स्टीमर</u>** : उच्चतम श्रेणी का एक और 3/5 भाड़ा (भोजन शामिल नहीं है) **<u>सड़क</u>** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) सड़क द्वारा यात्रा भत्ता जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित +

		अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
12.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष

		की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए वे किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
13	पूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधा	(1) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (2) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (3) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
14.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।
15.	पूर्व संसद सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे।

		यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
16.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।
17.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा कर सकती/सकते हैं, और जब संसद सत्र चल रहा हो, तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति दी गई कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होंगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय करती/करता है तो रूपये 16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी गई है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा, जो भी कम हो, का हकदार होगा/होगी।

18.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट-13

(देखें पैरा 12.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता, बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी प्रकार की अधिकतम सीमा के बिना कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार।

		(iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।